# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 तेरहवीं विधान सभा के पहले सत्र का नवां दिवस संख्या **6**

शुक्रवार,
09 जनवरी, 2009

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप तो उधर पहले किया करो। अपने लिखा हुआ है 'दुर्जनम् प्रथमम् वन्दे, सज्जनम् तदनन्तरम्'

श्री अध्यक्ष: इसीलिये आपको करता हूं। श्री रामनारायण मीणा।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

## प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति

31. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत पाँच वर्षों में राज्य में विभिन्न स्तर के संस्कृत विद्यालय खोले गये हैं? यदि हां, तो खोले गये विद्यालयों की पंचायतवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षान्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के सभी पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं? यदि हां, तो वर्तमान में विद्यालय एवं छात्रों की संख्या के अनुसार कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और उनके विरुद्ध अध्यापकों के कितने पद भरे गये हैं? विद्यालयवार नामांकन व अध्यापकों के स्वीकृत/कार्यरत पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर

पर ही विद्यालय खोलने का प्रावधान है जबकि अन्य स्तर के विद्यालय नीचे के स्तर के सम्बन्धित विद्यालयों से क्रमोन्नत होते हैं।

संस्कृत शिक्षा विभाग अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में नये खोले गये विद्यालयों की सूची परिशिष्ठ-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। संस्कृत शिक्षान्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्यापकों हेतु न्यूनतम मानदण्डानुसार आवश्यकता एवं विद्यालयवार नामांकन, स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ठ-ख एवं ग पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रथम ग्रेड के 57 अध्यापक, द्वितीय ग्रेड के 543 अध्यापक व तृतीय ग्रेड के 2916 पदों के लिये विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को उपलब्ध कराने पर नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा क्या यह सही है विगत दिनों में समस्त प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा में क्रमोन्नत किया गया और उसके मुकाबले अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं की जाने से बहुत से विद्यालयों में एक-एक या दो-दो अध्यापक हैं जबकि कक्षाएं आठ हैं?

दूसरा मेरा निवेदन करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसमें व्यवस्थार्थ अध्यापकों को लगाया हुआ है जबकि उस विद्यालय में आठ में दो अध्यापक होते हुए भी और यदि आप पूरे राजस्थान का नहीं बता सकें माननीय मंत्री महोदय, कोटा संभाग में ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लगा रखे हैं?

तीसरा मेरा प्रश्न है। क्या ग्रामीण क्षेत्र में तो अध्यापक कम हैं शहरी क्षेत्र में आपने जो सूची दी है क्योंकि एक-एक का तो बहुत लम्बा विवरण हो जायेगा, सिरोहीडोहड़ी में पूरे अध्यापक, गांवों में अध्यापक नहीं, यह असमानता के मामले में व्यवस्थार्थ लगाने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? वह उप निदेशक, कोटा हो या कहीं के भी हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे जिन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ रखा है और हमारे विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि असमानता का जो अध्यापक लगा रखे हैं, विभाग ने टोटल अध्यापकों की

जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी सूची आर पी एस सी को दे रखी है वरिष्ठ अध्यापकों के लिये, तृतीय ग्रेड के अध्यापकों के लिये विज्ञापित 2916 पद आर पी एस सी को दे रखे हैं। द्वितीय ग्रेड के 543 दे रखे हैं, तृतीय ग्रेड के लिये, वरिष्ठ अध्यापकों के लिये 57 पर आर पी एस सी को हमने रिक्वायरमेंट दे रखी है। आर पी एस सी ने इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। जैसे ही वहां से हमें इन पदों की स्वीकृति और इन पदों के अगेनस्ट अध्यापकों का चयनित क्रम मिल जायेगा, जहां अध्यापक बाकी हैं उसके जरिये हम उन अध्यापकों को पूरा कर देंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष जी..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा साफ प्रश्न है। यह तो आपने तीन में दे दिया कि इतने अध्यापकों की हमने आर पी एस सी को रिक्वीजिशन दे रखी है जबकि हजारों अध्यापक हैं। यह कब तक आर पी एस सी से करवा लिया जायेगा? व्यवस्था बहुत जरूरी है। मेरे कालानलां में उदाहरण दूं जो नैनवां में है एक अध्यापक आठ कक्षाओं में कार्यरत है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिये मेरे मन की बात है और यह वास्तव में हमारे स्टेट में हो रहा है। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता लेकिन ऐसी व्यवस्था चलायी पिछली सरकार ने, भगवान राम ऊपर है नीचे धरती है और बीच में अटक गये खजूर में...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मेरा यही है। मेरा आपसे यही जानना है सदन चाहता है कि जिन उन निदेशकों ने, निदेशक ने बिना सरकार की स्वीकृति अपने अधिकारी स्तर पर व्यवस्थार्थ दूसरी जगह अध्यापक लगा दिये, चाय पीकर लगाये कि ईमानदारी से लगाये, मैं नहीं कहना चाहता, उनके खिलाफ सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी और व्यवस्थार्थ लगाये हुए एक-एक अध्यापक कब तक सरकार हटा लेगी? आर पी एस सी से जो नियुक्तियां की जानी हैं उससे ज्यादा की जरूरत है खाली पदों की। उन नियुक्तियों को कब तक अपन करवा लेंगे मेरा इतना सा सीधा प्रश्न है माननीय।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड ग्रेड के टीचर्स के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2.9.2008 को विज्ञापित कर दिया गया है। आयोग द्वारा उक्त अंतिम तिथि 17 नवम्बर, 2008 को थी और हमने इन पदों को भरने के लिये 1 जनवरी, 2009 को आयोग को निवेदन किया है कि इनका जल्दी से जल्दी चयन करें जिससे जल्दी से जल्दी बच्चों को जो हानि हो रही है उसको पूरा किया जा सके।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): तारीख बता दो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): तारीख तो मैं नहीं बता सकता जब तक आयोग हमको नहीं दे। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। 1 जनवरी, 2009 को हम आलरेडी इसके लिये निवेदन, सैकिण्ड ग्रेड के लिये मार्च, 2009 प्रस्तावित है और 1 जनवरी, 2009 को इसके लिये भी हमने आयोग को लिख दिया। इसी तरीके से 57 पदों के लिये जो संस्कृत शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट ग्रेड के हैं उसके लिये भी हमने 2.8.2008 को आर पी एस सी को लिख दिया। 15 सितम्बर, 20088 को आयोग द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि थी।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जिस तरीके से माननीय सदस्य ने जो बात कही है अगर किसी तरीके की कोई अनियमितता हुई है लगाने में तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह हमें बताएं। अगर कोई अनियमितता हुई होगा तो मेरा विभाग उसके लिये कार्यवाही करेगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार जानकारी प्राप्त करे कि अध्यापकों को व्यवस्थार्थ लगाने में विभाग ने कहां-कहां त्रुटि की है और क्यों लगाया गया है जबकि उस विद्यालय में अध्यापक ही नहीं है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह जानकारी कर लेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): हम राजस्थान की जानकारी करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: वह जानकारी कर लेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं आश्वासन चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सरकार से बस।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मैंने आपको आश्वासन दे दिया है। आप मुझे लिखकर दे दें, उनकी कर देंगे।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): लेकिन अगर पढ़े लिखे होते तो हम उधर..(व्यवधान) यहां नहीं आते साहब।

श्री अध्यक्ष: प्लीज-प्लीज।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, अध्यक्ष महोदय। मैं यह सरकार से आश्वासन चाहता हूं। स्टेट का मामला है। गलतियां किसकी सरकार ने की, वह नहीं चाहता हूं। यह सरकार उसको सुधारे इतना सा ही विश्वास चाहिये मुझे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। माननीय देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से तीन बातों का उत्तर चाहता हूं कि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कितने पद और रह जायेंगे जो भरने बाकी रहेंगे?

श्याम/अरूण 09.01.2009 11.10 1**b**

अभी जो इन्होंने कहा है यह तो सब हमारी सरकार ने आरपीएससी को पद भेज रखे हैं, यह बाकी पद कितने भरेंगे, उसमें सरकार की योजना क्या है। नम्बर दो, हमारी सरकार ने विद्यार्थी मित्र लगाने की वहां पर स्वीकृति दी थी और वह लगे हुए हैं, क्या सरकार उन विद्यार्थी मित्रों को बराबर लगाये रखेगी या नहीं, इन संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था जो विद्यार्थी मित्र की योजना से लगे हैं, सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है, सरकार उत्तर दे।

श्री अध्यक्ष: ठहरिये, ठहरिये, एक मिनट, जसवंत यादव।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सच्चर कमेटी को लागू करने की योजना है, जो अल्पसंख्यकों से संबंधित स्कूल हैं, उनमें कम्प्युटर शिक्षा लागू की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: यह संस्कृत शिक्षा का प्रश्न है।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप मुझे बोलने तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष: बोलिये।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इसी तरह से क्या सरकार की मंशा है कि संस्कृत विद्यालयों के स्तर पर कम्प्युटर शिक्षा का लागू करने की योजना है या नहीं है और दूसरा इसी में है कि भारतीय संस्कृति, संस्कृत व योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या गुरूकुल विद्यालय खोलने की भी योजना है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। एक मिनट।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उत्तर आ जाये, उत्तर आ जाये।

श्री अध्यक्ष: आप भी अपनी बात कह दें, दस मिनट निकल गये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष जी, मैं एक पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के माध्यम से ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन बाद में दीजियेगा, प्रश्न पूछना हो तो पूछें, पूरक प्रश्न ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): प्रश्न से संबंधित है इसलिए पूछना चाहती हूं। 7 तारीख को तारांकित प्रश्न की सूची में क्रम संख्या 26 पर मेरा प्रश्न लगा था जिसमें मैंने प्रश्न किया था कि वर्ष 1998 से वर्ष 2003 तक व जनवरी 2004 से दिसम्बर 2008 तक राजस्थान राज्य में डकैती, लूट, हत्या...।

श्री अध्यक्ष: छोड़िये उसको, उससे कोई मतलब नहीं है, आप दीजिये जवाब।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं पूछ रही हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्लीज, बैठ जायें ...(व्यवधान)... प्लीज, बैठिये ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने तो तुलनात्मक प्रश्न ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय, मंत्री महोदय ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मंत्री महोदय अपना जवाब दे दें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय बोलें ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपने मुझे अवसर दिया है बोलने का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्लीज, आप जवाब दीजिये ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मेरा उसका उत्तर नहीं आया है, ना मुझे इसकी जानकारी दी गयी है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्लीज बैठें ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (संस्कृत शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य ने जो बात अभी कही, स्वीकृत पद थर्ड ग्रेड के 6284 हैं, कार्यरत 2917 हैं और रिक्त पद 3367 हैं। उसमें से 2916 पदों की हमने रिक्विजेशन आरपीएससी को दे दी है। 415 पद भरने की स्वीकृति पिछली सरकार ने इनके पास रिक्विजेशन जाने के बावजूद नहीं दी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हमने 2916 को ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (संस्कृत शिक्षा मंत्री): अब आपको बहुत जल्दी हो रही है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान)... प्लीज बोलने दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (संस्कृत शिक्षा मंत्री): जवाब मैं दे रहा हूं ...(व्यवधान)... 451 पदों की आपने वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की इसलिए खाली पड़े हैं, सरकार उसकी कार्यवाही करे। द्वितीय, रिक्त पद सैकण्ड ग्रेड के स्वीकृत 1279 हैं, उसमें से 543 विज्ञापित हैं, 60 पद रिक्त पड़े हैं उनकी डीपीसी प्रोसेस में है और जैसे ही डीपीसी से इसकी हमें क्लियरेंस मिलेगी उसको कर देंगे। उसके बावजूद भी 136 पद ऐसे हैं जो वित्तीय स्वीकृति के अभाव में पिछली सरकार ने नहीं दिये उसकी वजह से खाली रह गये। सरकार उस पर भी कार्यवाही करेगी। इसी तरीके से वरिष्ठ अध्यापक के 104 रिक्त पद हैं उसमें से विज्ञापित 57 हैं, 47 की डीपीसी होना बाकी है, जैसे ही इनकी डीपीसी हो जायेगी इन पदों को भर दिया जायेगा। दूसरा, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जिलेवार..।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कागज छूट गये क्या।

श्री बृजकिशोर शर्मा (संस्कृत शिक्षा मंत्री): कोई नहीं छूटा है, आप चिंता मत करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप जल्दी बोलिये ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (संस्कृत शिक्षा मंत्री): हैं, मालिक। हां, जल्दी ही बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मालिक नहीं माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा (संस्कृत शिक्षा मंत्री): जिलेवार जो आपने सूची मांगी है वह 26 जिलों की सूची इस प्रकार है, वह सदन में रख दी है।

श्री अध्यक्ष: नेकस्ट क्वेश्चन, निर्मल कुमावत।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने विद्यार्थी मित्र का पूछा था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: निर्मल कुमावत।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): डीपीसी कब तक होगी और विद्यार्थी मित्र के बारे में सरकार क्या सोचती है।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

**तहसील सांभर का जिला मुख्यालय में क्रमोन्नयन**

32. श्री निर्मल कुमावत(फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मंडल द्वारा कोटपूतली, शाहपुरा व सांभर को जिला बनाने के बारे में प्रस्ताव मांगा गया था? यदि हां, तो कब।

(2) सरकार द्वारा उक्त में से किस-किस शहर को जिला बनाने का प्रस्ताव भिजवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा का सांभर कस्बा जिला बनने की सभी पात्रताएं पूरी करता है? यदि हां, तो क्या सरकार सांभर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): (1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.03.2006 से राज्य में नवीन जिलों के गठन एवं पुर्नगठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर नये जिले स्थापित किये जाने के संबंध में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने के लिये अध्यक्ष, राजस्व मण्डल अजमेर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। जन प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा तहसील कोटपूतली, शाहपुरा व सांभर को जिला बनाने की मांग किये जाने पर उक्त स्थानों पर जिले के सृजन हेतु तथ्यात्मक

रिपोर्ट समिति के समक्ष रखने हेतु संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं जिला कलेक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.06.2006 को चाही गयी थी।

(2) अध्यक्ष, राजस्व मंडल अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ को जिला बनाने के अतिरिक्त किसी भी स्थान के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(3) सांभर के संबंध में नवीन जिलों के सृजन/पुर्नगठन के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य स्तर पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना संभव होगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो संभागीय आयुक्त एवं जयपुर जिला कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट 28.06.2006 को चाही गयी थी वह कब तक सदन में आ जायेगी। दूसरा, इसके अलावा नवीन जिलों के सृजन/पुर्नगठन के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को कब तक प्राप्त हो जायेगी। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अंतिम छोर की जयपुर जिलें से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। आम जनता को सुविधा के दृष्टिकोण से जो जिलों का गठन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में नागरिक अधिकारों एवं सुशासन के अंतर्गत संकल्प संख्या 4 में उल्लेख किया गया है, प्रदेश में नये जिलों के गठन पर गहनता से विचार एवं तदनुरूप निर्माण, पार्टी अपने घोषणा-पत्र के अनुसार इस समिति को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने का निर्देश देगी।

एक माननीय सदस्य: बहुत बढ़िया।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हम बनायेंगे, आपके तो बन गये ...(व्यवधान)... सिर्फ आपके जिले की ही रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, बाकी जिलों की अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई इसलिए विचार नहीं किया जा सका है। वर्तमान सरकार भी जब भी राजस्व मंडल, अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त होगी, तभी विचार किया जाना संभव होगा। उसके बिना इस पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि आपने अपने घोषणा-पत्र में नये जिले बनाने एवं तदनुरूप कार्यवाही करने के लिए कहा है, यह तो हमने बनाये थे वह हो गये, हमने जो सारे काम किये वह तो खराब थे। अब आपने घोषणा-पत्र में कहा है और आपने उसको सब कुछ माना है तो आप समय बता दें कि आप कब इसकी घोषणा करेंगे। कब इन जिलों पर कार्यवाही करेंगे और कब इनको करने वाले हैं यह बतायें आप।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हमने घोषणा-पत्र में नये जिले बनाने की बात कही है लेकिन अध्यक्ष, राजस्व मंडल, अजमेर अपनी रिपोर्ट भेजेंगे उसके बाद ही विचार

किया जाना संभव होगा। अभी सरकार बनी है, पाँच साल पड़े हैं, जब भी रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेंगे ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पाँच साल तक जिले बनेंगे नहीं ...(व्यवधान)... पाँच साल तक तो ना बनाने का तय कर लिया आपने ...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप तो पाँच साल में भी कुछ नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप तो पाँच साल में भी कुछ नहीं कर सके। हम बहुत जल्दी कर लेंगे, फिर भी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आप तो यह बतायें कि आप नये जिले बनायेंगे या नहीं बनायेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जब तक राजस्व मंडल, अजमेर की रिपोर्ट हमारे सामने, सरकार के सामने नहीं होगी तब तक सरकार किसी भी प्रकार से विचार नहीं कर सकेगी और जब रिपोर्ट आ जायेगी हम उस पर निश्चित रूप से विचार करके बनाने की कार्यवाही करेंगे ...(व्यवधान)... घोषणा-पत्र में जो नये जिले बनाने की बात कही है तो उस पर निश्चित रूप से अमल होगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता ...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हमने तो अपना घोषणा-पत्र चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया, इसमें आपको कहीं संदेह है, आपके घोषणा-पत्र में संदेह हो सकता है। आपने घोषणा-पत्र को मैंने यहां खूब अच्छी तरह से पढ़ा था। आपने आरक्षण की बात भी आपके घोषणा-पत्र में कही थी। क्या आपने आरक्षण ले लिया? आपके घोषणा-पत्र की तरह हमारा घोषणा-पत्र नहीं है। हमारे घोषणा-पत्र का अक्षरश: पालन होगा ...(व्यवधान)... इसमें आप संदेह नहीं करें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, बैठिये ...(व्यवधान)...

**jyg/akt/9.1.9/11.20/1c**

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पाँच साल तक तो आप विपक्ष में बैठे रहो, हल्ला करते रहे, हम काम करते रहेंगे और काम करके दिखाएंगे, जनता का विश्वास हासिल करेंगे और दुबारा सत्ता में आएंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मूल प्रश्नकर्ता को बुलाया है। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाँच साल तक एक गारण्टी तो हो गई कि हम विपक्ष में बैठे रहेंगे तो हेमारामजी को रोने का मौका नहीं मिलेगा पाँच साल तक।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह तो वसुन्धराजी को पता नहीं था कि मेरे वाली कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, यह पहले आभास होता तो शायद विपक्ष की बात सुनती वसुन्धराजी लेकिन यह आभास उस समय नहीं हुआ, अब पता लगा कि विपक्ष में बैठने का क्या अनुभव होता है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दो ही सवालों का जवाब चाहता हूं कि जो रिपोर्ट सम्भागीय आयुक्त, जयपुर और कलेक्टर द्वारा सरकार को देनी थी वह कब तक आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार राज्य सरकार अपने अधिकारियों को कब तक निर्देश देगी कि वे यह रिपोर्ट दें। आप मुझे समय सीमा बता दें ताकि मैं भी जनता को मेरे क्षेत्र में जाकर बोल सकूं, बस यही दो जवाब चाहिए मुझे आपसे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): बता दिया न आपको, समय सीमा का।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): घोषणा पत्र में जो बात हमने कही उसको लागू करेंगे।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): समय सीमा तो बताइए आप, दो महीने, पाँच महीने, छह महीने, पाँच साल? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह। मंत्री महोदय, से मैं पहले निवेदन कर दूं कि आप जरा उधर मुंह करके नहीं, सीधा इधर करके बोलें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में बात लाना चाहता हूं आपका एक पत्र है, 019320, डेटेड 27.2.2008, इसमें आपके साफ लिखा हुआ है कि शाहपुरा के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारणीय सूची में शाहपुरा का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। अब यह अवधि कहीं कोई समाप्त भी होगी या यह परीक्षण चलता ही रहेगा। आप स्पष्ट यह बताएं कि जितने ऐसे विषय आपके यहां

लम्बित हैं, जिनका आप परीक्षण कर रहे हैं, समयबद्ध कार्यक्रम के तहत, क्या आप इसका जवाब देंगे?

श्री अध्यक्षः यह बिना अवधि का जो पत्र है वह किस तारीख को लिखा गया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): फरवरी, 2008 को लिखा गया है कि यह परीक्षणाधीन है। अब हम आपसे जवाब यह चाहते हैं कि यह फरवरी, 2009 भी आ रहा है, यह परीक्षणाधीन ही रहेगा या राजस्व विभाग इस पर निर्णय करके अवगत कराएगा कि मेरिट्स या डिमेरिट्स पर कम से कम एक निर्णय तो हो, यह लम्बित की एम्बिक्यूटी यूं की यूं चलती रहेगी। आखिर जिला बनाना आपको है, जिला बनाने के लिए सीरियसनेस होनी चाहिए, आप मांगे तो सही, अगर वह जवाब नहीं भेज रहे हैं तो कमिश्नर या सम्भागीय आयुक्त से मांगे तो सही कि जवाब भेजिए। आखिर वह जवाब नहीं भेजेंगे तो आप मांगेंगे नहीं? चेयरमैन को आप इन्सट्रक्शन पास करिए कि निश्चित समय के अन्दर जवाब भेजे जिससे आप कार्यवाही कर सकें और आप निश्चित निर्णय ले सकें।

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हम बिलकुल राजस्व मण्डल, अजमेर से रिपोर्ट मांगेंगे।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): यह फुलेरा का मामला चल रहा है अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्षः आप जवाब दीजिए न, उसको छोड़िए आप जवाब दीजिए।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): डीडवाना और कुचामन का जवाब भी साथ दे दें। फुलेरा, कुचामन, डीडवाना का जवाब साथ दे दें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, जवाब देने दीजिए। माननीय मंत्री का जवाब आने दीजिए पहले। पहले प्रश्नों का जवाब आने दीजिए, सब प्रश्नों का जवाब एक साथ नहीं आ पाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, अजमेर अपनी रिपोर्ट जिलों के गठन के बारे में भेज देगा, नहीं भेजेगा तो हम उनको चिट्ठी लिखेंगे, जल्दी से जल्दी मंगवाएंगे, जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे, हमारे काम में कहीं कोई देरी नहीं होगी।

श्री अध्यक्षः कर्नल सोनाराम।

कर्नल सोनाराम (बायतू): कोटपूतली, शाहपुरा तहसीलों को जिला मुख्यालय में क्रमोन्नत करने का मामला आया है, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि जब एक नया जिला बनता है तो उसके कुछ मानदण्ड होने चाहिए। अगर पिछले दस का से आप देखें तो जो भी नए जिले बने हैं वह पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं

कि बाड़मेर जिला जहां करीब 22 लाख लोगों की आबादी है और 28 हजार स्क्वायर किलोमीटर का उसका पूरा एरिया है और वह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं है, मैं वहां से तीन बार सांसद रहा और मांग रखी कि बालोतरा को क्रमोन्नत करके जिला बनाया जाए। पिछली बार भी कहने कोशिश की तो हमें आश्वासन दिया गया। बालोतरा में एस डी एम मुख्यालय है, तहसील है, तो मेरी मांग है कि बालोतरा को जिला बनाया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा। ...(व्यवधान)... प्लीज बैठिए, आपकी बात आ गई। मंत्रीजी के ध्यान में आपकी बात आ गई है।

**विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में चम्बल नदी से पेयजल आपूर्ति**

33. श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में चम्बल नदी के किनारे बसे गांवों में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु चम्बल नदी के पानी को लिफ्ट कर पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौनसे गांवों की व नहीं, तो क्यों?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में चम्बल नदी के किनारे बसे कुल 27 गांवों में से 5 गांवों में क्षेत्रीय जल योजनाओं से एवं 22 गांवों में हैण्डपम्प योजनाओं से निर्धारित मानक अनुरूप गुणवत्ता एवं मात्रा का पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कारण चम्बल नदी के पानी को लिफ्ट कर कोई योजना बनाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा...।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको खड़े रहने में परेशानी हो तो मैं बैठे-बैठे की इजाजत दे सकता हूं।

श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): नहीं, बड़ी मेहरबानी है आसन की, मैं कोशिश यही करूंगा कि खड़े होकर ही अपनी बात कहूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि धौलपुर जिले को जो कि चम्बल से करीब सात-आठ किलोमीटर दूर है, धौलपुर नगर को, आई एम सॉरी, और भरतपुर नगर को जो करीब एक सौ किलोमीटर दूर है, चम्बल से पानी पिलाया जा रहा है और पिलाये जाने की कोशिश हो रही है। राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सारे कुएं और कस्बे जो निरन्तर गिरते जल स्तर का शिकार बन रहे हैं। पिछले साल इस सदी के सबसे बड़े अकाल का हमने सामना किया है। मुझे मालूम नहीं,

मेरी जगह सात बार विधायक बने व्यक्ति ने इस बात की ओर सदन का ध्यान नहीं उठाया, यह दुर्भाग्य की बात है लेकिन मैं आज आपके माध्यम से...।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न पूछें।

श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): इसीलिए मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं सीधा उसी प्रश्न पर आ रहा हूं कि हमारे लिए यह योजना क्यों नहीं बनाई जा रही और क्यों सम्भव नहीं है। हैण्डपम्प कोई स्थाई हल नहीं है। राजाखेड़ा के हजारों, हजारों कुएं अंधे हो गए हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यह बात कही गई है कि हम अंधे कुओं को दुबारा जिन्दा करने की कोशिश करेंगे, बावड़ियों को जिन्दा करने की कोशिश करेंगे, यह कदम सराहनीय है लेकिन मेरी मुश्किल यह कि जब पानी का स्तर इतना नीचे गिर गया हो कि उन कुओं को दुबारा जिन्दा नहीं किया जा सकता और उनके जल स्तर को दुबारा ऊपर लाने का केवल मात्र एक ही तरीका है कि चम्बल के पानी को लिफ्ट करके राजाखेड़ा कस्बे और चम्बल से जितने गांव लगे हुए हैं उनको चम्बल से पानी पिलाया जाए, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर बताएंगे? राजाखेड़ा के साथ यह सौतेला व्यवहार कब बन्द होगा और इन कुओं को जो हमारे बगल में नदी बहती है, वहां से पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी?

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा प्रोब्लेमेटिक विलेज नहीं है। राजाखेड़ा जो विधान सभा क्षेत्र है उसके अंदर एक शहर है, राजाखेड़ा में 112 कुएं और तहसील धौलपुर के 51 गांव हैं। इन सभी को पानी की सुविधा उपलब्ध है। गत दो वर्षों के अन्दर 7 नलकूप खोदे गए हैं और 441 हैण्डपम्प हैं, एक भी गांव प्रोब्लेमेटिक विलेज नहीं है। सरकार ने पूर्व में ही कह दिया कि राजाखेड़ा के जो गांव हैं वह विचाराधीन नहीं है।

श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कागजी स्थिति मंत्री महोदय बता रहे हैं और व्यवहारिक स्थिति मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न करें।

श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। इन पेयजल योजनाओं के लिए क्या मंत्री महोदय दुबारा राजाखेड़ा तहसील और राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र का सर्वे करवा सकते हैं?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपके यहां जो वस्तुस्थिति है वह आपकी सरकार की देन है। हम विचार करेंगे, सोचेंगे और राजाखेड़ा पर निर्णय करेंगे।

**Gpc/akt/09012009/1130/1d**

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय मंत्री महोदय, सरकार तो सरकार होती है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। विराधी दल की नेता।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा वाली बात अभी मंत्री महोदय ने की थी, मैं उनको आगाह करना चाहूंगा कि राजाखेड़ा की स्थिति, परिस्थिति बहुत ही खराब है और यह एक दिन की बात नहीं है इसीलिए पिछली सरकार के थ्रू हम लोगों ने सीडब्ल्यूसी के पास राजाखेड़ा की लिफ्ट सिंचाई योजना भिजवायी थी, मैं पूछना चाहता हूं कि वह लिफ्ट सिंचाई योजना वहां पड़ी है जिसकी वजह से सिंचाई भी हो जाएगी और साथ ही साथ पीने के पानी का भी इंतजाम हो जाएगा जो 20 साल से आपकी सरकार ने शुरुआत करने की बात कही थी और पिछले साल हम लोगों ने ऊपर भिजवायी थी उसकी क्या स्थिति है और उसको कब तक आप वित्त पोषित करवाकर वापस वहां से लाकर राजाखेड़ा की पानी की समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपके समय तो पड़ी रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने तो भेजा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): आपको बताया कि हमने भेजी थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ....(व्यवधान)....

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप पूर्ववर्ती सरकार की बात मत करो, आप क्या करने वाले हो यह बताया करें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप भी तो बोला करते थे, आप 5 साल, 7 साल करते थे, हम तो अभी-अभी का ही कर रहे हैं। हम भी पूरे 5 साल का बताएंगे जब आप यहां बैठोगे ही नहीं ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय विपक्ष के नेता ने जो प्रश्न उठाया है मैं आपको कहता हूं सरकार के पास अभी तक वह शायद कागजों में ही पड़ी होगी विभाग के पास ....(व्यवधान)....

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): सीडब्ल्यूसी में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्ष की नेता महोदय ने ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री महोदय का जवाब आने दीजिए पहले। माननीय विपक्ष के नेता ने जो सवाल किया है ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रतिपक्ष के नेता ने सीडब्ल्यूसी का जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र सिंह जी प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सीडब्ल्यूसी केन्द्रीय सरकार की समिति है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने जो सवाल किया है उससे संबंधित ही। बाकी और चीजें नहीं। ....(व्यवधान)....

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोई भी राजाखेड़ा की योजना विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सीडब्ल्यूसी के पास भेजी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वश्चन। श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वश्चन। राव राजेन्द्र सिंह। ....(व्यवधान).... बैठिए आप। प्लीज, बैठिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, चम्बल से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिए। ....(व्यवधान)....

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, यह चम्बल से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह। ....(व्यवधान)....

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, चम्बल से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त हो गई बात। आप बैठिए। प्लीज विराजिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): चम्बल से जुड़ा हुआ सवाल उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अलग से कीजिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): चम्बल से जुड़ा हुआ सवाल उठाना चाहता हूं। चम्बल की योजना बनने के बाद उस योजना को खत्म करके धौलपुर ले जाया गया और सवाईमाधोपुर के सारे आदमियों को पानी की परेशानी हुई। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः यातायात मंत्रीजी।

श्री अशोक (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल से सवाईमाधोपुर की जनता पेयजल की कमी से तरस रही है।

श्री अध्यक्षः व्यवधान नहीं।

श्री अशोक (खण्डार): पिछले पाँच साल में चंबल पेयजल परियोजना जो सवाईमाधोपुर के लिए थी ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः यातायात मंत्रीजी, आप जवाब दीजिए।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय मंत्री महोदय, क्या आप इस बारे में विचार रखेंगे कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः आप चालू रखें। ....(व्यवधान).... समाप्त हो चुका। अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है। ....(व्यवधान)....

**केन्द्रीय जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय से प्राप्त रोगी वाहन**

34. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय से प्राप्त रोगी वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जयपुर में खड़े हैं? यदि हां, तो कुल कितने रोगी वाहन किस उद्देश्य से प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रोगी वाहनों को उपयोग में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): (1) जी हां। केन्द्रीय जहाजरानी एवं यातायात मंत्रालय से प्राप्त सात एम्बुलेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जयपुर में पंजीयन के उपरान्त उपलब्ध हैं। ये एम्बुलेंस राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राप्त हुई हैं।

(2) जी हां। सरकार उक्त वाहनों को उपयोग में लाने का विचार रखती है। इनके उपयोग हेतु कार्य योजना बनायी जा रही है। इस कार्ययोजना को एक माह में अंतिम रूप देकर इनका उपयोग प्रारंभ कर दिया जाएगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कार्ययोजना आप बना रहे हैं इसका मतलब आज से पहले तो कोई कार्ययोजना आपकी है नहीं, यह बात तो स्पष्ट है। आप मुझे एक बात बताएं क्या इस तरीके की एम्बुलेंस आज से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात विभाग द्वारा किसी भी अधीनस्थ डिपार्टमेंट को मुहैया करायी गयी है या नहीं? अगर करायी गयी है तो वे किस योजना के तहत करायी गयी हैं?

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं यह एम्बुलेंस आपको कब मिली, मिलने के बाद कितने समय से वहां खड़ी हैं और कार्ययोजना अगर आप बना रहे हैं तो क्या इसके साथ आपको यह जानकारी है कि एक संस्था जो पूर्ववर्ती सरकार के समय जिसको हम ईएमआरआई संस्था के नाम से जानते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो 108 नम्बर से ये एम्बुलेंस चलाते हैं वह राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग में चलाते हैं। क्या आप यह एम्बुलेंस उनको देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या आपका डिपार्टमेंट एक पैरेलल सेवा देगा तो इन दोनों सेवाओं में क्या अंतर होगा और क्योंकि जो एंबुलेंस ईएमआरआई को दी जा रही हैं वो एनआरएचएम के फण्ड से खरीदकर सरकार दे रही है। उनके जितने कर्मचारी, स्टाफ हैं उनको हम पैसा मुहैया करा रहे हैं एनआरएचएम के फण्ड से और समाज कल्याण कोष से हम उनको करा रहे हैं। तो आप इन एम्बुलेंस को वहां खड़ी रखेंगे या इनको दे देंगे या आपका एक प्रोग्राम अलग से चलेगा। पूरी की पूरी व्यवस्था अलग से होगी और आपने पहले जहां एंबुलेंस मुहैया करा रखी है उनकी कौनसी कार्ययोजना थी और किस नियम के तहत आपने उनको मुहैया करायी थी? क्या वो भी कहीं खड़ी हैं या उपयोग में आ रही हैं, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा 1999 में 25 लाख से 5 एंबुलेंस राजस्थान सरकार को प्राप्त हुई थी। उन 5 एंबुलेंस में से एक एंबुलेंस शाहपुरा, दूसरी दूदू, तीसरी भीम, चौथी महुवा और पांचवीं दौसा में कार्यरत है। उनमें से एक एंबुलेंस जो शाहपुरा में थी ड्राईवर की उपलब्धता नहीं होने के कारण वह कुछ दिन नहीं चली, लेकिन पिछले चार महीने से कांट्रेक्ट पर ड्राईवर लेने के बाद यह शाहपुरा की एंबुलेंस भी कार्यरत है। इन पांचों एंबुलेंस का कार्य थानों के जरिये किया जा रहा है।

नेक्स्ट बात पूछी है, यह सही है 21.10.2008 को केन्द्रीय सरकार द्वारा 7 एंबुलेंस राजस्थान सरकार को दी गई थी। उनका रजिस्ट्रेशन 7.11.2008 को किया गया। उनका रजिस्टेशन आरजे 14 पीए 9993, आरजे 14 पीए 9994, आरजे 14 पीए ....(व्यवधान)....

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन नम्बर तो पूछा ही नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): इस तरह ये 7 एंबुलेंस ....(व्यवधान).... आप बैठिए, मुझे पूरा जवाब देने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय विस्तृत जवाब दे रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): फिर आप इंजन नम्बर और चेसिस नम्बर भी बता दें कि उनके इंजन नम्बर और चेसिस नम्बर क्या हैं और कौन-कौनसे उपकरण उनमें

लगे हुए हैं ....(व्यवधान).... उनका मेक कहां की है, कौनसे मॉडल की है, कौनसी कंपनी ने बताया है, पूरा विववरण व जानकारी आने दीजिए। ....(व्यवधान)....

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मैं एक-एक का जवाब दे रहा हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष जी, रजिस्ट्रेशन को दो महीने दो दिन हो गये, अभी तक उनका उपयोग नहीं हो रहा है, आदमी एक्सीडेंस से मर रहा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): 7.11.2008 को यह एंबुलेंस आयी थी, 14.11.2008 से राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लग गई। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): चुनाव आचार संहित आने की वजह से इन एंबुलेंस पर पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे स्टाफ की नियुक्तियां नहीं हो सकीं इसलिए इन एंबुलेंस का उपयोग नहीं किया जा सका। अब हमने जबसे काम सँभाला है हमने फैसला किया है एकमुश्त कार्ययोजना बनाकर इन एंबुलेंस का एक माह के अंदर हम सारे विचारों को ध्यान में रखकर इन एंबुलेंस को जो भी हमारे आठ नेशनल हाईवेज हैं उनमें एनएच 8, एनएच 12, एनएच 11, एनएच 14 और 15 पर इन सातों एंबुलेंस को हम एक माह में एकमुश्त कार्ययोजना बनाकर इनको चालू कर देंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता, प्लीज बैठिए।

**मोहन/अरूण/09012009/1140/1e**

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक बात आपने फरमाई कि 1999 में इसी तरीके से पाँच आपको एम्बुलेंस मिली थी, एक तो आपके डिपार्टमेंट ने आपके श्रीमुख से यह बात बिलकुल असत्य कहलवा दी कि वह 4 महीने 1999 से लगा कर और 2008 तक बगैर ड्राईवर के वह थाने में खड़ी रही, एक दिन भी उपयोग में नहीं आई, आपने थाने पर वह एम्बुलेंस दे दी लेकिन थाने को ड्राईवर का बजट नहीं मिला और थाने में ड्राईवर था नहीं, वह खड़ी खड़ी एम्बुलेंस वहां .....

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सदस्य, अगर यह नहीं था तो पाँच साल आपकी सरकार क्या कर रही थी ?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, अगर एक रोगी बीमार हो, अस्पताल में चला जाए और मौजूदा डाक्टर ने इलाज नहीं किया तो क्या दूसरा डाक्टर भी उसका इलाज न करने की बात करता है तो फिर यह 8 एम्बुलेंस आपने यह जहाजरानी विभाग से क्यों मंगाई हैं ? 99 से लगा कर 2003 तक आपकी भी सरकार

थी, अगर मेरी सरकार थी तो पीड़ा मुझे भी है, पीड़ा आपको भी होनी चाहिए और अब आप उस मत्रांलय के मंत्री हैं। आप कम से कम इस बात को तो स्पष्ट कर दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो पाँच साल नहीं कर सके और हम तो एक महीने में सब चालू कर दें। ...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री जी का जवाब है क्या?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ओम जी, जस्ट ए मोमेंट ...(व्यवधान)... मेरा सवाल स्पेसिफिक है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। प्लीज, मूल प्रश्नकर्ता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, आपने ही जवाब दिया था, 99 में आप वह लेकर आये थे, 99 से 2003 तक सरकार किसकी थी, यह आपको मालूम है। आपने पाँच साल तक कुछ नहीं किया हो, हो सकता है हमने भी कुछ नहीं किया हो, 108 वाली जो योजना है जो आपकी ईएमआरआई वाली योजना है, हमारी सरकार के समय हुई, मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कि क्या आप यह 8 एम्बुलेंस भी उनको दे दोगे या आप अलग से चलाओगे? आपने जब पहले 5 एम्बुलेंस दी थी तब कार्य योजना क्यों नहीं बनाई जो अब आप बनाने जा रहे हो। पिछले दो महीने से अगर यह खड़ी हैं तो वहां क्यों नहीं दी गई और जिसने आपको यह कहा कि वह एम्बुलेंस वहां चल रही थी, वह नहीं चल रही थी, वह खड़ी खड़ी बरबाद हो गई क्योंकि बजट नहीं था, संचालन का बजट नहीं था, उस एम्बुलेंस में पैरा मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा, इसका बजट नहीं था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाह रहा हूं कि जब एक बार हमसे कोई गलती हो गई तो दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यह जनता का पैसा है चाहे ईएमआरआई से आ रहा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग से आ रहा हो, चाहे चिकित्सा विभाग से आ रहा हो, इसका हम सदुपयोग करें और यह एम्बुलेंस वहां खड़ी खड़ी नष्ट हो जाए इसको आप ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इनको बता चुका हूं कि 7.11 के रजिस्ट्रेशन के बाद आचार संहिता आ गई, आचार संहिता में पैरा मेडिकल ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): और आचार संहिता आने के बाद हमने इनको बता दिया कि एक महीने के अन्दर कार्य योजना बना कर सारी उन सातों एम्बुलेंस का काम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं यह आसन पर छोड़ता हूं जो मैंने प्रश्न पूछा है, आसन इससे सेटिस्फाइड है क्या ? अगर आसन सेटिस्फाइड है तो मैं भी सेटिस्फाइड हूं। आप बता दें उनके जवाब के बाद आप सेटिस्फाइड हैं क्या ? मैं यह पूछ रहा हूं कार्य योजना अब क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी?

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भाषण न दें, प्रश्न पूछें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): क्योंकि 7 एम्बुलेंस हमको अब मिली हैं ...(व्यवधान)...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर मेरे प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: आप भाषण दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मंत्री जी को और माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि दोनों में चेम्बर में पधार जाएं, सामने बैठ कर के आवश्यक निर्देश देने की आवश्यकता होगी तो मैं दूंगा, दोनों को सामने बैठा कर संतुष्ट कर दिया जाएगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): बड़ी मेहरबानी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नैक्स क्वेश्चन। श्री अभिषेक मटोरिया।

एक माननीय सदस्य: पिछली सरकार में थे और फिर भी यह हल्ला कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया, अगला प्रश्न ...(व्यवधान)...

### तहसील रावतसर एवं नोहर में चकबन्दी कार्य

35. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार तहसील नोहर एवं रावतसर के गांवों में चकबन्दी कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह प्रश्न राजस्व से संबंधित नहीं है, फिर भी मेरे को भेज दिया, मेरे विभाग में, दे दूं जवाब आप चाहो तो, नहीं चाहो तो रहने दें, आपकी इच्छा हो तो दे दें ?

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नहीं, दीजिए मंत्री जी, जवाब बड़ा जरूरी है, प्लीज दीजिए आप। आप जवाब दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप देने दें न जवाब, आप देने ही नहीं दे रहे हो, बीच में ही उछल रहे हो ...(व्यवधान)... तो आप उछल क्यों रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन करूंगा और सभी सम्मानित मंत्रीगण बैठे हैं, यदि अपने विभाग से संबंधित नहीं होता है कोई प्रश्न गलती से चला जाता है तो समय रहते आप इस सचिवालय को सूचित कर दिया करें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह प्रश्न लिस्टेड हो गया था, आज की तारीख में प्रश्न सूची में इसलिए समय नहीं बचा था सूचित करने का इस वजह से मैंने उचित समझा कि तो मैं ही जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): और अगर यह जवाब सुनने चाहें तो मैं दे दूं और नहीं सुनने चाहें तो रहने दें।

श्री अध्यक्ष: दीजिए, आप दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): (1) सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के 1.14 लाख हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में खसरा से मुरब्बा में परिवर्तन का कार्य सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग द्वारा मै0 वेपकोस (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से कराया जा रहा है। तहसील नोहर के 39 ग्रामों में मुरब्बाबन्दी का कार्य वर्तमान में चल रहा है। मुरब्बाबन्दी का कार्य सितम्बर, 2010 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

तहसील रावतसर के किसी भी ग्राम में मुरब्बाबन्दी का कार्य विचाराधीन नहीं है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन में बोलने का यह मेरा प्रथम मौका है और सदन में सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मैं सभी को राम राम और बधाई देते हुए मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो यहां पर इन्होंने जवाब दिया है, स्पष्ट रूप से इसमें पल्ला झाड़ कर मात्र कुछेक गांवों का विवरण दे दिया। रावतसर और नोहर तहसील, मेरे बाकी जिले के विधायक यहां बैठे हैं, रावतसर नोहर तहसील को नोहर साहवा लिफ्ट परियोजना फीड करती है और सैकड़ों गांव उसमें आते हैं और सिद्धमुख नोहर टुहाणा से फटती है, वहां से डाइवर्ट होती है। मात्र कुछेक गांव उसमें आते हैं, सारे प्रश्न की मूल भावना को बदल कर कम्पलीट रूप से उसको डाइवर्ट कर दिया, मेरे प्रश्न का जवाब यह बनता है, इसमें नोहर साहवा में जितने गांव आते हैं उनकी चकबन्दी कब करवाई जाएगी, न कि सिद्धमुख नहर की, मुझे तो उसका समय बता दें। सिद्धमुख नहर में अभी तक पूर्ण रूप से न तो पानी छोड़ा गया है और जहां छोड़ा गया है, अध्यक्ष महोदय, वह मात्र 10,20,25 गांव हैं और जो सरासर 130-40 गांव हैं समस्त पल्लू क्षेत्र और जो सारा बीच का मध्यम एरिया है जिसको नोहर साहवा लिफ्ट परियोजना करते हैं, जिसे पूर्व में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का नाम भी साथ में जोड़ा गया था उसके अन्दर जो सिंचित क्षेत्र आता है उसके एरिया का, उसके गांवों का चकबन्दी का कार्य कब करवाया जाएगा और यह कार्य करवाना, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह मात्र एक प्रश्न नहीं है पूछने का और उसका जवाब देने का, जैसा कि अभी भादरा से आने वाले विधायक ने भी समर्थन किया, चाहे ये किसी पार्टी के हों, यह समस्त जिले की भयंकर रूप से बड़ी एक समस्या है The entire point is, जो

आज किसान, अध्यक्ष महोदय, अपने खेत में जाता है, न तो वह रास्ते के माध्यम से सही तरीके से जा पाता, न वहां पर खाले और नाले का निर्माण हो पाता, आर्थिक हानि के साथ साथ भारी मानसिक वेदना किसान को झेलनी पड़ती है तो उसका मुख्य कारण चकबन्दी है तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा चूंकि यह इनके विभाग से संबंधित है या नहीं है, इस प्रश्न का मुझे जवाब दें कि नोहर साहवा लिफ्ट परियोजना में जो गांव आते हैं, उनकी चकबन्दी कब होगी, न कि सिद्धमुख नहर की, मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): तहसील नोहर के 224 ग्राम हैं जिनमें से 119 ग्राम भाखड़ा नोहर परियोजना क्षेत्र के हैं तथा 21 ग्राम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के हैं। उक्त 140 ग्रामों में पहले से ही मुरब्बाबन्दी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 39 ग्रामों में मैसर्स वेपकास के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, शेष 45 गांवों में सर्वे करवाया जाकर सीएडी विभाग के माध्यम से नियमानुसार मुरब्बाबन्दी करवाई जा सकेगी। तहसील रावतसर में कुल 319 राजस्व ग्राम हैं इनमें से 268 ग्राम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत होने से पूर्व में ही मुरब्बाबन्दी, चकबन्दी का कार्य किया जा चुका है, 18 ग्राम किसी भी परियोजना के अन्तर्गत नहीं होने के कारण मुरब्बाबन्दी का कोई औचित्य नहीं है, 33 राजस्व ग्राम साहवा लिफ्ट योजना के अन्तर्गत हैं जिनमें से अभी सर्वे करवाया जाना शेष है, सर्वे हेतु आयुक्त सीएडी एवं संबंधित जिला कलक्टर को लिखा जा रहा है, सर्वे के बाद मुरब्बाबन्दी की कार्यवाही नियमानुसार संभव हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मंत्री महोदय, वेपकास वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विस है जो बहुत बड़ी एक आर्गेनाइजेशन है, हुकुम और जब मैं चुनावों में वहां पर अवलोकन के लिए गया था, उससे पूर्व भी गया था, उसके बाद भी गया था, इतनी बड़ी फर्म का मुझे वहां पर एक आदमी नहीं मिला, जो उस एरिया में सर्वे कर रहा था। चकबन्दी के लिए समूचे क्षेत्र को साथ लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर, सभी रिटायर्ड तहसीलदारों को साथ लेकर सर्वे करवाया जाता है। इस फर्म का एक भी आदमी मेरे क्षेत्र में आज तक कभी नहीं गया।

**Skp/akt/09.01.2009/11.50/1f**

और जिस क्षेत्र का यहां पर विवरण दिया गया है वह मात्र 10-20 गांव हैं और अधिकारियों ने मंत्री जी को गुमराह किया है। जिस क्षेत्र का मैं जवाब जानना चाहता हूं, नोहर साहवा लिफ्ट परियोजना में जितने गांव आते हैं उन क्षेत्रों का, उन गावों का

चकबंदी का कार्य कब करवाया जाएगा? अगर नहीं करवाया जाएगा तो मंत्री जी, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। जब हम वापस जाते हैं तो हमारे क्षेत्र में 20-30-50, सैंकड़ों, तारानगर से आये हुए मंत्री जी भी जानते हैं कि 50 आदमी थाने में इस बात को लेकर के बैठे रहते हैं कि आज मेरा नाला इधर मुड़ गया, आज मेरा खाला इधर हो गया और आज मुख्य रास्ता 10 फीट के बजाय 8 फीट का हो गया है। अध्यक्ष महोदय, और तो और, जब आपकी सरकार यहां पर सड़क बनाती है तो सड़क बनाने में भी इतनी भयंकर रूप से बाधा आती है क्योंकि चकबंदी का कार्य जो होता है वह पूर्ण रूप से वर्टिकल और होरिजेंटल स्क्वायर्स में उनको बांटने का होता है और टुकड़ों की तरह जो खेत बंटे होते हैं उनको चकबंदी में काटने के बाद सारी समस्या का होता है। मुझे तो मंत्री जी इतना बता दें कि नोहर साहवा लिफ्ट परियोजना के जितने भी गांव उस क्षेत्र में सिंचित योजना का पानी ले रहे हैं उनका चकबंदी का काम कब होगा? इसके अलावा मुझे और कोई जवाब नहीं चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य ने कहा मंत्री जी, तो मंत्री जी तारानगर से नहीं आते हैं, गुढामलानी से आते हैं, एक तो आप यह कर लें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मैं अपने मंत्री जी की बात कर रहा हूं, हमारे लिए तो वो मंत्री रहेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): तारानगर से आने वाले तो पहले मंत्री थे। आपके लिए वो मंत्री रहेंगे लेकिन यहां विधान सभा में मंत्री नहीं हैं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): छाया मंत्री मण्डल है हमारा।

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): छाया मंत्री हैं। नोहर साहवा लिफ्ट का मैंने आपको जवाब दे दिया है कि सर्वे के लिए सीएडी कमिश्नर और सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिख दिया है, लिखा जा रहा है इसलिए लिख देंगे और जल्दी उसका.....

श्री अध्यक्ष: जरा इधर मुंह करके।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मंत्रीजी, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कलेक्टर को मैंने कह दिया, लिखा जा रहा है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): कलेक्टर को?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आपकी बात का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि सीएडी कमिश्नर और कलेक्टर को लिखा जा रहा है और आपका काम हो जाएगा।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): लिखा जा रहा है मंत्री जी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन श्री अजय सिंह। अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है। श्री अजय सिंह। अगला प्रश्न।

श्री जयदीप (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में दो सुझाव हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): एक वेबकोस की इन्होंने बात की.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गई बात, बैठिये आप। पप हो गई बात। अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है।

**विधान सभा क्षेत्र डेगाना की स्वीकृत पेयजल योजनाएं**

36. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में गत दो वर्षों में कौन-कौन सी पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं? उक्त स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध कराये गये कार्यों एवं शेष रहे कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा स्वीकृत शेष रहे कार्य अब कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु गत दो वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में स्वीकृत, पूर्ण की गई एवं शेष रही पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

| **वित्तीय वर्ष** | **पेयजल योजनाओं का विवरण** | | |
|---|---|---|---|
| | **स्वीकृत योजनाएं** | **पूर्ण योजनाएं** | **शेष योजनाएं** |
| 2006-07 | 102 | 101 | 01 |
| 2007-08 | 96 | 75 | 21 |
| **योग** | **198** | **176** | **22** |

योजनावार कराये गये कार्य एवं शेष रहे कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार शेष 22 प्रगतिरत योजनाओं में से 20 योजनाएं माह मार्च, 2009 तक एवं 2 क्षेत्रीय योजनाएं माह दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित हैं।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि 2009 तक सभी योजनाएं पूर्ण कर ली जायेगी। वर्तमान में सभी योजनाएं बंद हैं, कोई कार्य नहीं चल रहा है। मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि जब 6 पदों में से 5 पद खाली हैं तो क्या फिर भी यह सभी योजनाओं को पूर्ण करवा लेंगे?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपके पद शीघ्र भरने की कोशिश की जाएगी।

श्री अजय सिंह (डेगाना): वित्तीय वर्ष 2009 तक क्या योजनाएं पूर्ण करवा लजी जाएगी पद भरकर?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 20 योजनाएं मार्च, 2009 तक पूर्ण करवा ली जाएंगी। दो योजनाएं क्षेत्रीय योजनाएं हैं उनके अन्दर रेलवे क्रोसिंग का मामला है और उनका डिमांड नोट मण्डल रेलवे, जोधपुर को 19 हजार समथिंग का है जो भर दिया गया है और प्रस्तावित है और हम अतिशीघ्र उन योजनाओं को पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन श्री दिगम्बर सिंह।

## गुड़गांव नहर से भरतपुर एवं अलवर जिलों को जल आपूर्ति

37. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1991 में यमुना का अतिरिक्त पानी (सरप्लस वाटर) ओखला व ताजेवाला हैड से राजस्थान को 1.119 एम.ए.एफ. दिये जाने का नीतिगत निर्णय राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार एवं भारत सरकार के बीच हुआ था? यदि हां, तो करार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यमुना नदी एवं गुड़गांव नहर के पानी को भरतपुर एवं अलवर जिले के लिए उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा घोषणापत्र में अंकित किया गया है? यदि हां, तो घोषणा के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मंत्री जी, जवाब दें।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): (1) वर्ष 1994 में पाँच राज्यों एवं भारत सरकार के बीच निष्पादित सहमति पत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यमुना नदी एवं गुड़गांव नहर के पानी को भरतपुर एवं अलवर जिलों के लिए उपलब्ध कराया जाना सरकार की कार्य योजना का अभिन्न अंग माना गया है तथा इस सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जा रही है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मेरे जिले के लिए और अलवर जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह योजना है और आपने कहा है कि सरकार की कार्य योजना का यह अभिन्न अंग माना जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब यह पाँच राज्यों के बीच में यह समझौता हुआ उस समय एक शर्त उसमें थी और केन्द्रीय जल संसाधन आयोग द्वारा गुड़गांव नहर की 175 करोड़ रुपये की स्कीम को स्वीकृत करते हुए यह शर्त लगाई थी कि इस

परियोजना का कार्य करने से पूर्व हरियाणा गवर्नमेंट से अनुमति ली जाए तो क्या हरियाणा सरकार से इस एमओयू पर हस्ताक्षर कराने के लिए सरकार अपना मानस रखती है?

दूसरा, इसका जो इनिशियल सर्वे हुआ उस सर्वे का वहां के सारे जन-प्रतिनिधियों ने विरोध किया और तत्कालीन उप मुख्य मंत्री कमला जी ने एक कमेटी का गठन किया और दुबारा सर्वे करने का निर्णय किया गया लेकिन वह सर्वे केवल कागजों तक ही रह गया। पिछली सरकार में भी उस सर्वे के लिए कुछ पैसा मंजूर हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सर्वे का कार्य कब पूर्ण हो जाएगा? सैण्ट्रल वाटर कमीशन से इस योजना में कितना पैसा स्वीकृत है और यह कार्य योजना कितने समय में ग्राउंड रियलिटीज पर आयेगी? यह बात मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो एमओयू हमें हरियाणा सरकार से साइन करना था वह अभी तक साइन नहीं हुआ है। हमारे मुख्य मंत्री और हम भरसक प्रयत्न करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस एमओयू पर दस्तखत कराये जाएं तभी इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। जहां तक आपने सर्वे का प्रश्न किया तो हम टेक्नीकली फिजिबिलिटी को वापस देखते हुए मैरिट के आधार पर आपकी इस योजना का वापस सर्वे करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। पूरक प्रश्न।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोजेक्ट बना इसमें ताजेबाला हैड से, ओखला हैड से जो यमुना का सरप्लस वाटर था उसके उपयोग के लिए यह प्रोजेक्ट बना था और ताजेवाला हैड से चूंकि चूरू और झुन्झुनूं के लिए लिफ्ट से ही पानी जा सकता था परन्तु भरतपुर और अलवर के लिए तो नेचुरल फ्लो से ही पानी हमको मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने हिस्से को पानी मिलना चाहिए था, हमारा जो हिस्सा है भरतपुर का वह 1281 क्यूसेक्स का है और अभी तक हमारे पास जो इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वह इन्फ्रास्ट्रक्चर 800 क्यूसेक्स से ज्यादा का नहीं है और प्रेक्टिकली 400 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी आज तक भरतपुर जिले को कभी नहीं मिला है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारा जो 481 क्यूसेक्स पानी अभी भी शेष है जिसके लिए हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं 8बना तो उसको लेने के लिए भी कोई कार्य योजना विचाराधीन है क्या?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो सर्वे का काम है, जो इन्होंने मूल बातें उठाई हैं, यह सर्वे का कार्य हम वापस से जून तक पूरा कराकर के जो भी इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें बदलाव की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

**vkj/akt/09012009/1200/1g**

## शोकाभिव्यक्ति

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए त्रिपुरा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सुधीर रंजन मजूमदार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

त्रिपुरा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सुधीर रंजन मजूमदार का जन्म 18 मई, 1939 को बांग्लादेश के कोमिला जिले के गंगरा ग्राम में हुआ। आपने एम.ए., बी.एड. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सुधीर रंजन मजूमदार पांचवीं व छठी त्रिपुरा विधान सभा में विधायक रहे। पांचवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सितम्बर, 1986 से फरवरी, 1988 तक विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। विधान सभा में आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे। श्री मजूमदार 5 फरवरी, 1988 से 19 फरवरी, 1992 तक त्रिपुरा के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। आपने वर्ष 1992 से 1998 तक राज्य सभा में त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया। आप वर्तमान त्रिपुरा विधान सभा के लिए वर्ष 2008 में हुए आम चुनावों में टाउन बोरडोवाली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए।

राजनीति में आने से पूर्व आप अध्यापक रहे। श्री मजूमदार प्राकृतिक आपदाओं के समय तथा वर्ष 1970-71 के बांग्लादेश युद्ध के समय सामाजिक सेवा कार्यक्रमों से जुड़े रहे। आप त्रिपुरा युवा कांग्रेस तथा जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर रहे श्री मजूमदार वर्ष 1987 से 1990 तक त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इससे पूर्व लगभग दस वर्षों तक आप त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी रहे।

श्री सुधीर रंजन मजूमदार का दिनांक 4 जनवरी, 2009 को निधन हो गया।

मैं, दिवंगत मजूमदार को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक-संतप्त परिवारजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा

की शान्ति के लिए प्रार्थना की।)

स्थगन प्रस्तावों पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है। आसन पैरों पर होता है...

श्री अध्यक्ष: तब आप खड़े नहीं हो सकते, तब आप खड़े नहीं हो सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, दर्शक दीर्घा में जो अधिकारी लोग हैं, उनका आवागमन इस तरह जारी रहता है चाहे शोक प्रस्ताव का मामला हो चाहे आसन पैरों पर हो, कम से कम इनको तो प्रताड़ित कीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक बैठिये।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से सीकर के एस.के.अस्पताल के निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

2. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से निवास कर रहे बंगलादेशियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में फसल को बर्बादी से रोकने हेतु सिंचाई का पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पेमाराम, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री पवन दुग्गल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

**प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं**

1. श्री सुखराम, सदस्य की ओर से बसेड़ी(धौलपुर) के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने एवं एक्स-रे एवं लैब की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य की ओर से बीसलपुर पेयजल परियोजना में चाकसू विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सड़क एवं विद्यत व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में।

4. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के नागदी बांधों की नहरों को पक्का कराने एवं नागदी नदी के जीर्णोद्धार की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

5. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से लक्ष्मणगढ़(सीकर) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय आगामी सत्र से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर की सीमावर्ती तहसील शिव, रामसर एवं चौहटन के गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री ग्यारसा राम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के खेरिया मोड़ से बोकोली मोड़ तक की खराब सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

8. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के मैड के अस्पताल को 50 बैड का विस्तारित करने एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में निर्माणाधीन ताकली बाँध के विस्थापितों को मुआवजा राशि देने के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से तहसील कामां के ग्राम इन्द्रोली में रोडवेज की बस की टक्कर से ट्रेक्टर ट्रोली के मृतक लोगों को दिये गये मुआवजा में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में।

11. श्री राजकुमार रिणवां, सदस्य की ओर से विधान सभा परिसीमन से विभिन्न विभागीय कार्यों में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में।

12. श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से ग्राम मसारी, तहसील कठूमर जिला अलवर की खसरा नम्बर तीन बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1551, तीन बीघा 5 बिस्वा भूमि की कथित रूप से फर्जी रजिस्ट्री की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य श्री पेमाराम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, I am on point of information. अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अन्दर ट्रक स्वामियों ने हड़ताल कर रखी है, तेल कम्पनियों ने हड़ताल कर रखी है, सरकार ने रेस्मा

भी लगाया है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर और पूरे राजस्थान के अन्दर पेट्रोल पम्पों के बन्द होने के कारण से सारा जन-जीवन ठप्प हो गया। किसान को तेल नहीं मिलने के कारण वह खेती का काम नहीं कर सका और आज अध्यक्ष महोदय, गृहिणियों के पास जो गैस सिलेण्डर हैं, उनकी आपूर्ति नहीं हो रही हैं और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार ने रेस्मा भी लगा दिया पर रेस्मा लगाकर इसका कोई कार्यकारी प्रबन्ध करने का काम नहीं किया। आज पूरे राजस्थान के अन्दर आम व्यक्ति का जन-जीवन इससे प्रभावित हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने रेस्मा तो लगाया पर इसकी व्यवस्था भी करें, वैकल्पिक व्यवस्था करायें, पेट्रोल-डीजल की व्यवस्था कराये, गैस सिलेण्डर की व्यवस्था कराये और ट्रक स्वामियों से बात करके...

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

## स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

## श्री कल्याण अस्पताल सीकर में छत गिरने से हुई मौत

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक ऐसी घटना की तरफ दिलवाना चाहूंगा। सीकर के सरकारी अस्पताल, जिला मुख्यालय के श्री कल्याण अस्पताल में मातृ-शिशु केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी पैसा है, सरकारी पैसे से इतने घटिया किस्म का मैटेरियल लगाया जा रहा है, घटिया किस्म की सीमेंट है, घटिया किस्म का कंक्रीट है और उसकी वजह से पी.डब्ल्यू.डी. के जो अधिकारी हैं...

**Jkj/akt/12.10/1h/9.1.2009**

पी.डब्लू.डी. के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत होने की वजह से ठेकेदार को वह लगातार पैसे का भुगतान दिलवाये जा रहे हैं और उसकी वजह से छह तारीख को दो गरीब मजदूर, जो मजदूरी करते थे, शायर सिंह 25 साल का और ऋषिकेश 22 साल का, उनकी लगभग ग्यारह और बारह बजे के बीच में वह छज्जा गिरने से मृत्यु हो गई। वहां का प्रशासन लगातार पाँच बजे तक वहां कोई उनको सम्भालने वाला नहीं था। यहां से जाने के बाद मैं भी गया और सांसद महोदय भी वहां पहुंच गये, उसके बाद भी जिला कलेक्टर ने कहा, दस हजार रूपये का मुआवजा देंगे, पूरा गांव ग्राम पंचायत का सरपंच समेत तमाम लोग वहां उपस्थित थे। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय से बात हुई, इन्होंने एक लाख रूपये का कहा। एक लाख रूपये के बाद उस ठेकेदार से कुछ दिलवाने की बात हुई, हमारा निवेदन यह है कि ऐसी घटिया सामग्री लगाकर के जो निर्माण किया जा रहा है उसे तुड़वाया जाय और जिन अधिकारियों ने यह परमिशन दी है, जिन्होंने

लगातार ठेकेदार को पैसे दिलवाये हैं, आज तीन दिन हो गये, मैं पूछना चाहता हूं संवेदनशील सरकार से कि लगातार तीन दिन के बाद उन अधिकारियों को या तो सस्पैण्ड किया जाय या वह बढ़िया करते हैं तो उनको प्रशस्ति-पत्र क्यों नहीं दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसी ठेकेदार ने ट्रोमा यूनिट का निर्माण किया था, ट्रोमा यूनिट में भी लोग भयभीत हैं, कभी भी टूट सकती है, कभी भी गिर सकती है और जिले के लोग कभी भी मौत के घाट उतर सकते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का इरादा पूछना चाहता हूं आपके द्वारा कि सरकार क्या मानसिकता रखती है। जिन अधिकारियों ने मिलीभगत करके ऐसा गलत निर्माण करवाया है उनके प्रति सरकार की क्या मानसिकता है और जो गरीब मृतक हैं, मेरा निवेदन है सरकार से कि उनके परिवार में कमाई करने वाला कोई नहीं है इसलिए उनको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और जिन अधिकारियों ने जो किया है और मैं जिला कलेक्टर के बारे में कहूंगा, पाँच घंटे लाशें पड़ी रहे, दो लाशें पड़ी रहे, सीकर का जिला कलेक्टर पाँच घंटे तक मौके पर जाकर के उन पड़ी हुई लाशों के बारे में कोई संभाले नहीं, इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। मैं विधान सभा से जाने के बाद वहां पर मैं गया हूं और उसके बाद जिले का कलेक्टर वहां मौके पर आया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अधिकारियों को निर्देश दिये जायें कि ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो तुरंत कलेक्टर वहां जाये, हस्तक्षेप करे और उसके बाद सरकार ने किया है, जनता पर मुकदमा दर्ज किया है...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री पेमाराम (धोद): मैं मांग करता हूं कि यदि पाँच घंटे लगातार लाशें पड़ी रहें और...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान...

श्री पेमाराम (धोद): उसके बाद संवेदनशील सरकार कुछ न संभाले और जनता वहां आ जाय, आंदोलन करे तो ऐसे आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे दर्ज किये जाते हैं वह गलत है। मुकदमे वापिस लिये जाने चाहिए, मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और लापरवाह अधिकारियों को तत्काल सस्पैण्ड किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के द्वारा मेरी यह मांग है आपसे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत आपके माध्यम से संसद के नेता महोदय से...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की मानसिकता पूछना चाहता हूं, सरकार की क्या मानसिकता है।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात हो चुकी है, आपकी बात हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): संसद के नेता महोदय से मैं जानना चाहता हूं...

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि सरकार का, जो इतनी लापरवाही करने वाले अधिकारी हैं जिन्होंने...

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, 22 हजार करोड़ रूपये के घोटाले की खबर अख़बार में, 22 हजार करोड़ रूपये के घोटाले की खबर अख़बार में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़ । (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा।

श्री पेमाराम (धोद): [000]

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 000

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): 000

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। प्लीज, बैठिये।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं रहा, प्लीज बैठिये।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): 000

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा, फिर मैं आपको समय दे दूंगा, आपको समय दे दूंगा, प्लीज, बैठिये। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): 000

श्री अध्यक्ष: मैं आपको समय दूंगा, बैठिये आप। मैं दूंगा समय आपको, आप बैठिये। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री पेमाराम (धोद): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य, प्लीज, बैठें, व्यवधान नहीं। श्री राजेन्द्र राठौड़।

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

## अवैध रूप से प्रदेश में निवास कर रहे बांग्लादेशियों विषयक

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी छह जनवरी को देश के प्रधान मंत्रीजी ने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन इस बारे में बुलाया और प्रधान मंत्रीजी ने उस सम्मेलन में यहां तक कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पालिसी बन गया और उसके आगे यहां तक कह गये कि आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान भारत में नेपाल व बांग्लादेश के मार्फत आतंकवादी गतिविधियों का संचालन हो रहा है और इसके आगे बढ़कर गृह मंत्री चिदम्बरमजी ने तो यहां तक कह दिया कि वह सारे पाक के खिलाफ सबूत लेकर सोमवार को अमेरिका जायेंगे। हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर हम सबको मिल कर बड़े मन से राजनीतिक धरातल से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिए, मैं भी इनकी बात का स्वागत करता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 13 मई को वह समय था जब जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, निरीह लोगों के प्राण गये। तत्कालीन सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई और टास्क फोर्स ने इसकी पूरी जांच करना प्रारम्भ किया और उसी टास्क फोर्स ने कहा कि बांग्लादेशियों की जो कालोनी अवैध रूप से जयपुर में बसी है, कहीं न कहीं यह तार उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेशियों के विरूद्ध, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, एक व्यापक छानबीन का एक अभियान चलाया गया और उस छानबीन में उनको चिह्नित किया गया और उनको राजस्थान और भारत की

सीमा के बाहर बीएसएफ के द्वारा उनको खदेड़ने की कार्यवाही भी हुई। इसी दरम्यान,अध्यक्ष महोदय, चार जून को उच्च न्यायालय के अंदर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर हुई जिसका निर्णय भी हो गया और राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कह दिया कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, यह वास्तव में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इनको गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सर्कुलर, 1958 का सर्कुलर और 1997 का सर्कुलर, चार जनवरी, 2009 को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के कहा कि इन सर्कुलरों के माध्यम से जो भारत सरकार के परिपत्र 1958 में जारी किये गये, जो भारत सरकार के परिपत्र सितम्बर 1997 में जारी किये गये, बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के नेता महोदय से कहना चाहूंगा, आंतरिक सुरक्षा की चिंता आपको और हम सबको है, क्या सरकार ऐसे मौके पार जब पूरे हिन्दुस्तान के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर आम व्यक्ति चिंतित है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को खदेड़ने की कोई कार्यवाही करने की मंशा रखती है । अध्यक्ष महोदय, स्थगन के माध्यम से हम अपनी बात कहते

हैं और यह संवेदनशील सरकार जो कई रूप में यह कहती है कि हमने जवाब नहीं दिये, आप भी वही परिपाटी डाल रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता बैठे हैं और यह मसला, जो मैंने उठाया है, कोई दलगत राजनीति के आधार पर नहीं उठाया, इसलिए मैं आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन के नेता, आपसे अपील करना चाहूंगा, आज बांग्लादेशियों को खदेड़ने के मामले में आपको कोई न कोई अपनी बात कहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है बांग्लादेशियों से संबंधित वाला।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मंत्रीजी कुछ, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामलाल (मांडल): एक भी पकडा है क्या, आपकी सरकार रही जो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी बड़े जोर-शोर से बांग्लादेशियों का मसला उठाया और राजनैतिक लाभ उठाने के लिए आप और आपकी पार्टी हमेशा से बांग्लादेशियों को आगे लाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे को एतराज है। मेरे को एतराज है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्रीजी को जवाब देने दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी ऐसे विषय पर तो स्तर बनाकर रखें..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह क्या तरीका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कम से कम ऐसे विषय पर तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह राजनैतिक लाभ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब तो सुनें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब तो सुनिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह क्या तरीका है, जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप अपनी बात कह देते हैं लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब आता है तो आप जवाब सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं अध्यक्ष महोदय, यह जवाब देने का तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मुख्य मंत्रीजी कल ही प्रधान मंत्री से बात करके आये हैं...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह क्या तरीका है अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मंत्रीजी रेस्पांसिबल हैं और सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं, कभी भी आप बोलने नहीं देते मंत्रीजी को।

श्री अध्यक्ष: आप बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, बोलने क्यों नहीं देते।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बिल्कुल। सरकार की तरफ से बोल रहे हैं...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप जब बोल रहे थे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ऐसा नहीं होना चाहिए... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जिम्मेदारी समझ रही है सरकार तब जवाब दे रही है हाथों-हाथ, आप सुनने का माद्दा तो रखिये, सुनिये की पेशंस तो रखिए। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से माननीय राठौड़ साहब को यह बताना चाहता हूं कि जब 1998 से लेकर 2003 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो 592 बांग्लादेशियों को यहां से निकाला था लेकिन जब...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने तो बगराना में उनको...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय कालीचरणजी, सुनने की भी क्षमता रखो, माद्दा रखो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब तो सुन लें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सुनने की पेशंस रखिये..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बैठ जाओ, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जब सरकार जवाब देती है, आप बार-बार उठते हैं..

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय प्रभारी मंत्री जब रिप्लाई के लिए खड़े होते हैं, आप सब खड़े हो जाते हैं...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सुनने की हिम्मत ही नहीं है आपमें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह क्या बात है, सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): 2004 से लेकर 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ 398 बांग्लादेशियों को चिह्नित किया है और यहां से निकाला। हमने आपसे ज्यादा देखाउ है। ज्यादा देख करके इस समस्या को गहनता से विचार करते हुए और गहनता से इस पर एक्शन लेते हुए निकाला है, इसलिए आप सिर्फ राजनैतिक, आप सिर्फ राजनैतिक लाभ लेने के लिए यह हव्वा खड़ा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): बांग्लादेशियों को कांग्रेस ने बसवाया है जयपुर के अंदर। आपने बसवाया है बांग्लादेशियों को और उनके राशन कार्ड भी आपने बनवाये हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप यह भूल रहे हैं शायद, बांग्लादेशी बस्ती जब खाली हुई जयपुर में गोपालबाड़ी से, वह अशोकजी गहलोत की सरकार में खाली हुई, तब आपने वह खाली नहीं करवाई थी।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): बांग्लादेशियों को राशन कार्ड कौन ने बनवाये..(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बांग्लादेशियों की बस्ती को पहली बार गहलोत साहब की सरकार ने ही खाली करवाया था जयपुर में जो अजमेर पुलिया के पास से। (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): उनके लिए राशन कार्ड बनवाये, उनके वोटर लिस्ट में नाम लिखवाये, आईडी कार्ड बनाये....

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल ।

**Bhs/akt/9.1.09/12.20/1j**

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल। माननीय सदस्य, अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारा जा चुका है।

**श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ में फसलों को पानी दिये जाने विषयक**

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंदिरा गांधी नहर ...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन के नेता इस पर तत्काल वक्तव्य दें अभी

प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में जाकर आये है। सदन के नेता आप कहिये न कुछ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाकर आये हैं बोलिये न।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अपनी बात कहना चाह रहे हैं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...सात लाख हैक्टैयर में किसानों की फसल तैयार खड़ी है। पिछली सरकार ने भी वहां के किसानों को बर्बाद किया और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि हम वहां के आंदोलन में साथ थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर उस समय कांग्रेस हमारे साथ थी तो आज यहां दुबारा ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है । माननीय अध्यक्ष जी, सात लाख हैक्टेयर में किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि फसल को उजड़ने से बचायें और इससे भी एक शर्मनाक बात माननीय अध्यक्ष जी, यह है कि हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर ने बिना हनुमानगढ़ के और गंगानगर के विधायकों को बुलाये कल घर बैठे रेगुलेशन को चेंज कर दिया । यह सरासर अन्याय है जनप्रतिनिधियों के साथ। ऐसी सरकार के अन्दर जो अन्याय किया है मैं मांग करता हूं कि चीफ इंजीनियर को तुरंत निलंबित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस बात का सबूत दे, सरकार स्पष्टीकरण दे। संवेदनशील सरकार इस बात का जवाब दे, किसान की बात करने वाली सरकार इस बात का तुरंत जवाब दे कि एक तो चीफ इंजीनियर डीएस मलहोत्रा को तुरंत निलंबित करो। माननीय सदस्य का अपमान हुआ है । गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो भी माननीय सदस्य हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो भी खड़े हों, वो भी इस बात के लिए आयें सदन में। यह जो सदस्यों का अपमान हुआ है वो अपमान कांग्रेस की सरकार के राज में हुआ है ...।

श्री अध्यक्षः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री सुखराम।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इसलिए डीएस मलहोत्रा को तुरंत निलंबित किया जाए। रेगुलेशन को बदला जाए।

श्री अध्यक्षः श्री सुखराम। समाप्त करें।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेगुलेशन को एज इट इज रखा जाए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी, डीएस मलहोत्रा को निलंबित किया जाए। यह सरासर जनप्रतिनिधियों का अपमान है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री सुखराम।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेगुलेशन को एज इट इज रखा जाए। किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्षः श्री सुखराम। माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): विधान सभा चल रही है और मीटिंग बुलाते हैं । हम मांग करते हैं कि डीएस मलहोत्रा को तुरंत निलंबित किया जाए।

श्री अध्यक्षः आपकी बात सुनी जा चुकी है माननीय सदस्य।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... किसानों के साथ अन्याय हो रहा है फसल बर्बाद हो रही है ...(व्यवधान)... रेगुलेशन को यथावत रखा जाए। हम यह मांग करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): तुरंत निलंबित किया जाए ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः एक मिनट मेरी बात सुनें।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यदि कोई माननीय सदस्य यह महसूस करता है कि माननीय सदस्य का कहीं अपमान हुआ है तो नियमों में प्रावधान है कि प्रिविलेज के माध्यम से आप उस बात को सामने ला सकते हैं। आपको चर्चा का अवसर दिया गया, कृपया चर्चा समाप्त करें। कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)... हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि डीएस मलहोत्रा को तत्काल निलंबित किया जाए।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। श्री सुखराम।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): [000]

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। श्री सुखराम। अंकित नहीं होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्षः श्री सुखराम, आप पढ़ना चालू करें। अंकित नहीं हो रहा है।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): 000

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा है। कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य व्यवधान नहीं। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया कार्यवाही चलने दें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चेयर ऑन लेग्स। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो सारी स्थिति आप बता रहे हैं अपमान के संबंध में या जो भी, आप यहां के बाद मुझसे चैम्बर में मिलें मैं आवश्यक रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि ...(व्यवधान)... मेरी बात सुन लीजिये। मैं सारी बात आपकी सुनूंगा। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर को बुला लिया जाएगा । दोनों के सामने बात सुनूंगा और अगर मैं कुछ महसूस करूंगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। व्यवस्था दे चुका हूं। आसन के द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है। अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): [000]

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं अगर आपकी अनुमति हो, एक मिनट। मैं एक निवेदन करूं। आपने जो व्यवस्था दी वो शिरोधार्य है पर मैं वो सर्कुलर जो संसदीय कार्य विभाग ने 26 दिसम्बर को निकाला है उसकी चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं, 'विधान सभा सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय व अन्य समितियां जिनमें माननीय सदस्यों को भाग लेना है की बैठक आयोजित नहीं की जाए व विशेष परिस्थितिवश बैठक का आयोजन हो तो माननीय सदस्यों की पूर्व सहमति लें। यदि भविष्य में बिना माननीय सदस्यों की सहमति के बैठक बुलायी जाएगी तो माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा और विधान सभा की विशेषाधिकार हनन समिति उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करेगी।'

यह सर्कुलर है । यह 26 दिसंबर का सर्कुलर है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से टेबल करना चाहता हूं। मैं टेबल करना चाहता हूं। इसके बाद कोई चीज बची नहीं है। इसके बाद कोई चीज बची नहीं और इसमें आपको चीफ इंजीनियर को निलंबित करना ही चाहिए। चीफ इंजीनियर को निलंबित करना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। अंकित नहीं होगा। मैं व्यवस्था दे चुका हूं चैम्बर में मैंने माननीय सदस्य को और मंत्री जी को आने के लिए निवेदन कर दिया है। मैं सारी स्थिति देख करके ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

(माननीय सदस्य श्री पवन कुमार दुग्गल और श्री अभिषेक मटोरिया द्वारा सदन कूप में धरना।)

**कैलाश/अरुण 09.01.2009 12.30 (1) 1k**

मैं सारी स्थिति देख कर, अंकित नहीं होगा, कार्यवाही का आपको विश्वास दे चुका हूं । ...(व्यवधान)... अंकित नहीं हो रहा । यहां से बोलने का तरीका नहीं है आप अपनी चेयर पर जाइए । ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी(विद्याधर नगर): [000]

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम जी, प्लीज आप वरिष्ठ सदस्य है मेहरबानी कर के बैठ जाइए प्लीज, सुखराम जी आप चालू करें । ...(व्यवधान)... किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा । श्री सुखराम जी । ...(व्यवधान)...

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य व्यवस्था में सहयोग करें वरना मुझे मजबूर होकर 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढा हुआ मान लिये जाने की व्यवस्था देनी पडेगी । सदन को सुचारू रूप से चलने दें । ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी(विद्याधर नगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सुखराम जी, और किसी का अंकित नहीं होगा । ...(व्यवधान)... किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा खाली सुखराम जी अपनी बात कह रहे हैं । ...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): 000

श्री अध्यक्ष: मैं समय दे रहा हूं आपको पहले बैठिए आप । श्री सुखराम जी ।

श्री नरपत सिंह राजवी(विद्याधर नगर): [000]

## नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

## सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद भरने बाबत

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे यहां बसेडी विधान सभा क्षेत्र में जो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है इस चिकित्सालय में डाक्टरों के कुल 6 पद रिक्त हैं । इन 6 पदों में से महत्वपूर्ण डाक्टरों के 3 पद स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसन एवं सर्जरी के पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं । स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने के कारण यहां की ग्रामीण महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है । स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने के कारण ग्रामीण महिलाओं का इलाज के लिये प्राइवेट अस्पतालों में जाना पडता है जिससे उनको अनावश्यक पैसा खर्च करना पड रहा है । ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी(विद्याधर नगर): 000

श्री घनश्याम तिवाडी(सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां बैठे हैं मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं आपको समय दे रहा हूं कह चुका हूं बैठिए । मैं समय दूंगा आपको । ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा । मैं समय दे रहा हूं कृपया बैठें । ...(व्यवधान)...

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अंकित नहीं होगा । आप बैठिए मैं समय दे रहा हूं आपको कह चुका हूं । मैंने कह दिया मैं समय दे रहा हूं आपको ।

श्री घनश्याम तिवाडी(सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा आपसे निवेदन कर रहा था अपने तीन माननीय सदस्य यहां बैठे हैं मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं रेगुलेशन चेंज करने की मीटिंग में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है और चीफ इंजीनियर ने अपने आप रेगुलेशन चेंज कर दिया । पानी की कमी है और किसानों में बहुत असंतोष है । यह माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र को रिप्रजेंट करते हैं । इनकी भावना आप तक आ गई है । मैं आपसे कहना चाहता हूं इस संबंध में सरकार की ओर से आप निश्चित रूप से कोई व्यवस्था दें, स्पष्टीकरण हो और कम से कम उस अधिकारी का, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा के आदेश के बावजूद माननीय विधायकों की बिना मीटिंग बुलाये रेगुलेशन चेंज कर दे इस प्रवृत्ति पर अगर हमने अंकुश नहीं लगाया तो फिर माननीय विधायकों की यहां पर बात उठाने का, करने का कोई मौका नहीं रहेगा । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस संबंध में व्यवस्था दें और माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार अपने स्थान पर आ जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय का अपन ने ध्यान आकर्षित कर दिया है और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप विराजे और अध्यक्ष महोदय इस पर निश्चित रूप से व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष: माननीय उप नेता महोदय, माननीय सदस्यों को मैं निवेदन कर चुका हूं इस व्यवधान में न मैं सारी बात स्वयं सुन चुका हूं और न शायद मंत्री जी सुन चुके होंगे । मैंने यह निवेदन किया है चैम्बर में दोनों को बुलाकर सारी बात सुन कर मैं कार्यवाही आवश्यक रूप से करूंगा । मैं संतुष्ट हा जाऊं और दवाब के रूप में, धरने पर यहां पर बैठ कर कार्यवाही कराना चाहते हैं, वह दवाब के रूप में संभव नहीं है बिना कुछ देखे । मैं देखना चाहता हूं ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा । मैं समझ लूं, देख लूं, आपकी बात सुन लूं, सरकारी पक्ष की बात सुन लूं ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा । आसन पांवों पर है । उप नेता महोदय मैंने आपको यह विश्वास दिलाया है कि मैं इनकी बात सुनूंगा, सारी स्थिति देखूंगा और उसके बाद मैं कार्यवाही करने का आपको विश्वास दिला चुका हूं । श्री सुखराम जी ।

श्री नरपत सिंह राजवी(विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे संसदीय कार्य मंत्री जी को आप जरूर बुलाये लेकिन इर्रिगेशन मिनिस्टर को भी आप बुला लें इर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज मैनुअल पर कंट्रोल उन्हीं के अधिकारियों का है ।

श्री अध्यक्ष: आप आसन की कार्यवाही पर विश्वास रखें । श्री सुखराम जी ।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे

यहां बसेडी विधान सभा क्षेत्र में जो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है इस चिकित्सालय में डाक्टरों के कुल 6 पद रिक्त हैं । इन 6 पदों में से महत्वपूर्ण डाक्टरों के 3 पद स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसन एवं सर्जरी के पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं । स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने के कारण यहां की ग्रामीण महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है । स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने के कारण ग्रामीण महिलाओं का इलाज के लिये प्राइवेट अस्पतालों में जाना पडता है जिससे उनको अनावश्यक पैसा खर्च करना पड रहा है । इसी तरह बाल रोग विशेषज्ञ एवं सर्जरी का पद भी रिक्त है । बसेडी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हाल में एक एम्बुलेंस ग्राम पंचायत के सहयोग से उपलब्ध करवाई हुई है । मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि इस स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे एवं लैब आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये । साथ ही जो उक्त तीन पद डाक्टरों के रिक्त चल रहे हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी भरवाया जाये । इसके साथ ही ....

श्री अध्यक्षः प्लीज, केवल पढने तक ही व्यवस्था है । श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा ।

श्री सुखराम (बसेड़ी): 000[000]

श्री अध्यक्षः प्लीज, शुरू करें आप, बैठिए । ...(व्यवधान)... मैं आपको समय दूंगा यह होने के बाद मैंने आपसे कह दिया है, आप कृपया विराजे । श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्रीमती प्रेमिला कुण्डारा (चाकसू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । ....

श्री अध्यक्षः आप कृपया पढें ।

**विधान सभा क्षेत्र चाकसू में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या**

श्रीमती प्रेमिला कुण्डारा (चाकसू): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चाकसू व फागी में बडी संख्या में फ्लोराइड युक्त पानी को पीने के लिये ग्रामवासी बाध्य हैं जबकि जयपुर बीसलपुर योजना की मुख्य पाइप लाइन चाकसू कस्बे के पास से गुजरती है तथा जयपुर में पेयजल की सप्लाई के लिये बनाया गया मुख्य टैंक भी चाकसू के निकट है ।

इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि बीसलपुर पेयजल परियोजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू के सभी गांवों को सम्मिलित करावें । अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः कृपया पढे, केवल जो लिखा हुआ पढा है वही लिखा जायेगा, थैंक्य यू ।

श्रीमती प्रेमिला कुण्डारा (चाकसू): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः उसमें अलाऊ नहीं होगा । श्रीमती सूर्यकांता व्यास ।

श्रीमती प्रेमिला कुण्डारा (चाकसू): [000]

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्या अंकित नहीं हो पायेगा, कृपया आप विराजें ।

श्रीमती प्रेमिला कुण्डारा (चाकसू): [000]

श्री अध्यक्षः फिर उसका कोई मतलब नहीं है ।

## सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में सड़क एवं विद्युत व्यवस्था में सुधार विषयक

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सड़क एवं विद्युत व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं ।

जौधपुर के सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कालोनी के विभिन्न सेक्टर को कुछ वर्ष पूर्व आवासन मंडल से नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था । इसके पश्चात इन कालोनियों में नगर निगम को विकास करवाना था । परंतु जौधपुर नगर निगम के नकारापन के कारण इन क्षेत्रों में विकास का कार्य काफी समय से अवरुद्ध पडा है । जबकि आवासन मंडल द्वारा नगर निगम को इन कालोनियों के हस्तांतरण के समय इनके विकास हेतु एक मोटी राशि भी उपलब्ध करवाई गई थी ।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों में न तो सार्वजनिक रोशनी की समुचित व्यवस्था है और नहीं समुचित सडकों को विकास हुआ है । आवासन मंडल द्वारा बनाई गई सडकें भी उचित रख रखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। इस कालोनी के काफी बडे क्षेत्र में सीवर लाइन भी नहीं डाली गई है । और जो भी पुरानी सीवर लाइन आवासन मंडल द्वारा डाली गई थी वह जनसंख्या के बढते दवाब के कारण नाकाफी है । इसी प्रकार विभिन्न सेक्टरों सार्वजनिक पार्क विकसित करने के लिए जगह छोडी गई थी वे जगह सार्वजनिक कुडाघर के रूप में तब्दील होती जा रही है और निगम द्वारा इनकी सफाई हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है । इन गंदगी के ढेर के कारण इन सेक्टर में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है ।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**ans/usc 12.40 1I 09012009**

मेरा माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध हे कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर में सड़क विकास हेतु तुरंत प्रभाव से दो करोड़ रूपयों की राशि उपलब्ध करावाई जाए तथा यहां सार्वजनिक पार्कों के सुधार एवं चारदीवारी निर्माण हेतु एक करोड़ की राशि तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही नगर निगम को यह निर्देश प्रदान किये जाए कि सड़क सुधार,सार्वजनिक पार्कों के जीर्णोद्धार एवं चारदीवारी निर्माण कार्य सीवर लाइन निर्माण व सार्वजनिक रोशनी का सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर लेकर मार्च 2009 के पहले पूरा करवाने के लिए समयबद्ध योजना बनाकर कार्य करें। जिससे कि क्षेत्र के निवासियों को राहत पहुंच सके और किसी भी प्रकार की बीमारी से उन्हें बचाया जा सके।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री शिवजीराम मीणा।

**विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की नागदी नदी का जीर्णोद्धार**

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, नागदी बाँध की नहरोंका निर्माण एवं नागदी नदी का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण हेतु नियम 295 के अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहाजपुर के पास नागदी नदी पर काफी वर्षों पहले सिंचाई के उददेश्य से बाँध बनाया गया था। इस बाँध की भराव क्षमता 180 मिलियन क्यूबिक फीट है जिससे 1692 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है किन्तु बाँध के निर्माण के साथ ही पक्की नहरों का निर्माण नहीं करवाया गया था जिससे सिंचाई के समय पानी का अपव्यय होता है तथा टेल पर स्थित कमाण्ड एरिया के खेतों में भी पानी नहीं पहुंच पाता है इसलिए पक्की नहरों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के कस्बा जहाजपुर से निकलने वाली उक्त नागदी नदी पौराणिक एवं धार्मिक आस्था की महत्वपूर्ण नदी है किन्तु पिछले कुछ वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण जगह जगह कटीली झाड़ियां एवं गन्दगी हो गई है जिससे कस्बे के पर्यावरणीय सन्तुलन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र की नागदी बाँध की नहरों को पक्की कराने एवं नागदी नदी के जीर्णोद्धार की स्वीकृति शीघ्र कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। श्री गोविन्द सिंह लक्ष्मणगढ़ से।

## राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ (सीकर) में विज्ञान संकाय खोलने बाबत

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (जिला सीकर) के सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में विज्ञान संकाय शुरू करने बाबत मैं राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कुल 20 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं जिनमें लगभग साढ़े पाँच हजार बालक बालिकाएं अध्ययनरत हैं परन्तु मुझे बड़े ही खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित एक भी सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में विज्ञान संकाय उपलब्ध नहीं है जिसके कारण छात्र छात्राओं को मजबूरन निजी विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके, अनुसूचित जाति,जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दुरूह कार्य है। आज जब चहुंओर तकनीकी शिक्षा का बोलबाला है एवं राज्य सरकार भी रोजगारोन्मुख तकनीकी शिक्षा पर ही अधिक जोर दे रही है ऐसे में पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान जैसा महत्वपूर्ण संकाय नहीं होना अपने आम में शर्म की बात है एवं क्षेत्र की जनता के बालक बालिकाओं के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती, चाहते हुए भी सैकण्डरी कक्षा में अध्ययनरत छात्र को या तो मजबूरन निजी विद्यालयों में प्रवेश को बाध्य होना पड़ता है अथवा पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है या संकाय बदलना पड़ता है। ऐसे में आर्थिक दृष्टि से मजबूत वर्ग के अभिभावक तो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में अध्ययन हेतु भर्ती करा भी देते हैं अथवा अन्य दूरस्थ स्थान पर भी अध्ययन हेतु भेज सकते हैं परन्तु मेरा विधान सभा क्षेत्र अधिकांशतः कृषि पर आधारित लोगों से भरा क्षेत्र है, यहां पर मुख्यमंः मध्यम एवं निम्न वर्ग के तथा अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के व्यक्ति ही निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में यहां के अधिकांश लोग चाहते हुए भी अपने बच्चों को विज्ञान विषय की शिक्षा उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर मैं राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी से इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय आगामी सत्र से ही प्रारम्भ किये जाने के आदेश तुरंत जारी किये जाकर क्षेत्र के आम अवाम को रहत प्रदान की जाए। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष:श्री अमीन खां।

**विधान सभा क्षेत्र शिव के विभिन्न गावों में पेयजल उपलब्ध करवाने विषयक**

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 केअन्तर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के सीमावर्ती जिले की तहसील शिव रामसर व चौहटन के गांवों में पीने के पानी का भंयकर संकट पिछले 5 सालों से हो रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में ए. आर. पी. के तहत भारत सरकार के क्षेत्रिय जलप्रदाय बनाई जाकर स्वीकृति के अनुसार गांवों व ढाणियों में होदियां बनाई,पाइप लाइने बिछाई गई, नलकूप खुदाए गए, पम्प लगाए गए हैं। परन्तु सच है कि 80 प्रतिशत होदियों में 5-6 सालों से आज तक पानी नहीं जाता है। यहां के निवासी गांव खाली कर चले जाते हैं, किन्तु दो साल पूर्व उस क्षेत्र में भारी बरसात हुई जिससे तालाबों में, कुओं में पानी हो गया।

यह है कि अब उन तालाबों,कुओं में पानी समाप्त होने वाला है। आने वाली गर्मियों में लोगों को मजबूर होकर ये गांव खाली करने पड़ेंगे। वहां पर हालत खराब इसलिए हुई है कि सरकारी अफसर अपने निजी धंधों में लिप्त है ओर लबर 1992 के बाद भर्ती नहीं हुई जिससे वहां पर लेबर सिर्फ 16 प्रतिशत है। कनिष्ठ अभियन्ताओं के अधिकांश पद काफी अरसे से खाली पड़े है। मरम्मत का सामान बिल्कुल नहीं है। कई जगहों पर मोटर पम्प केवल चोरी हो गई क्योंकि साइड पर लेबर या अफसर नहीं दिखता तब लोहे की ज्यादा कीमत होने से चोर फायदा उठा रहे हैं।

इंदिरा गांधी नहर की गडरारोड ब्रांच का प्रावधान तो यह है कि शिव तहसील की 6 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी उस ब्रांच का 5 सालों से काम बन्द है। अगर गडरारोड़ ब्रांच का कार्य नहीं हुआ तो लोगों ने सिंचाई की उम्मीद छोड़ दी है परन्तु पीने के पानी के लिए नहर का पानी लाना पड़ेगा वरना वहां पर स्थाई कोई पानी का सोर्स नहीं है।

अत: मैं इस सदन की मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार वहां की समस्या के हल के लिए मजदूरों का शीघ्र इन्तजाम करें खाली कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद खाली है उन्हें भरा जावे और गाड़ियों का इन्तजाम करके पानी का सही इन्तजाम किया जावे और गडरारोड़ ब्रांच का कार्य पूरा किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली।

**विधान सभा क्षेत्र बयाना की सड़क मरम्मत विषयक**

श्री ग्यारसा राम (बयाना): नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बयाना में खेरिया मोड़ से बोकोली मोड़ तक खराब रोड़ हो चुकी है। आये

दिन वाहनों से आम रास्ता जैसी स्थिति बन चुकी है। मोटर साईकिल व गाड़िया चल ही नहीं पाती, धूलभरी आंधी जैसा माहौल बन जाता है। सवारियों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आसन से सीधे बात कर रहे हैं। आपने अनुमति दे दी क्या, ये यहीं से बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय

इससे बुरी बात क्या हो सकती है एक माननीय सदस्य आसन के पास जाकर मुझे धमकाकर कह रहे हैं यहीं से बोल सकते हैं , अगर यही परम्परा आपको डालनी है अध्यक्ष महोदय, अगर यह परम्परा आपको डालनी है...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभी बोलेंगे..(व्यवधान) यह परम्परा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सब्जी मण्डी थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर यह परम्परा डालेगे तो...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह परम्परा बिल्कुल सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैंने बुलाया है (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ऐसे काम नहीं चलेगा (व्यवधान) नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: मुझे समझ में नहीं आई थी (व्यवधान) इसलिए मैंने बुलाया है इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह छाती तानकर आये हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक स्लिप इनकी लिखी मेरे पास थी जो मुझे समझ में नहीं आई इसलिए मैंने खुद ने बुलवाया है इनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):सीधे आपसे पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

**दुर्गा/चौहान 090109 1250 1m**

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इन्होंने हमारे सचेतक महोदय को धमकाया, यह नहीं चलेगा। कैसे हो सकता है, यह तरीका नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य: ये पसीना-पसीना हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, देखो पसीना आ रहा है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष के अधिकारों को चुनौती नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम तो आसन की गरिमा की ही बात कर रहे थे। आपको बुरा लगा तो क्षमा चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बोलिये, बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम तो आसन की गरिमा की बात कर रहे थे। यह सब्जी मण्डी नहीं है, पब्लिक पार्क नहीं है। माननीय सदस्य, मैं इसमें नियम 272 पढ़कर आया हूं।

श्री अध्यक्षः बैठिये आप। श्री ग्यारसा राम।

श्री ग्यारसा राम (बयाना): अध्यक्ष महोदय, वाहन टूट जाते हैं या इधर-उधर गड्ढों में गिरने की आम शिकायत है। सरकार इस समस्या को सुधारने के लिए कब तक विचार रखती है। सुधार व सड़क दुरुस्त कराकर अवगत कराने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री फूलचन्द भिण्डा।

**मैड (विराट नगर) हास्पिटल में चिकित्सकों का पद-स्थापन**

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित मैड़ के हास्पिटल में चार पद स्वीकृत हैं तथा लम्बे समय से केवल एक डाक्टर कार्यरत है। वह भी मुख्यालय से बाहर आना-जाना पड़ता है तथा तीन पद रिक्त हैं उनमें महिला चिकित्सक लगाने की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्र के मध्य 10 पंचायतों का एक मात्र हास्पिटल होने के कारण चिकित्सकों का मुख्यालय पर रहकर जनता की सेवा करने के लिए तथा चिकित्सा सेवा को 24 घण्टे सेवा व्यवस्थित करने के लिए सभी पद भरना जरुरी है। इनमें कोई पति-पत्नी चिकित्सक हो तो अति उत्तम रहेगा। कार्यरत डाक्टर द्वारा 13 वर्ष के बच्चे के साथ विलम्ब के कारण कहा-सुनी जन-आक्रोश में बदल गई है। चिकित्सकों के साथ-साथ अन्य स्टाफ के पद भी भरे जावें । उस स्थान पर 50 बैड का हास्पिटल विस्तारित करने की भी आवश्यकता है। क्षेत्र की आबादी लगभग 70 हजार है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। (अनुपस्थित)

श्री राजकुमार रिणवां।

**परिसीमन से उत्पन्न समस्या**

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के परिसीमन में 54 नये गांव तथा एक नगर पालिका छापर जोड़ी गई है, उनके समस्त विभागों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कार्याधिकार तहसील रतनगढ़ में केन्द्रित करने की आवश्यकता है। राज्य में परिसीमन तो हो गया, उसके अनुसार विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र बन गये लेकिन उनके क्षेत्राधिकार पूर्व विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार ही होने से वहां के जन प्रतिनिधियों को जनहित में विकास कार्य करवाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जिससे आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह समस्या मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ही नहीं है बल्कि परिसीमन से प्रभावित अन्य विधान सभा क्षेत्रों की भी है। अतः इसका समाधान करवाने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्षः श्रीमती अनिता सिंह।

**इन्द्रोली, तह. कामां अन्तर्गत रोडवेज दुर्घटना में मृतक लोगों को मुआवजा बढ़ाना**

श्रीमती अनिता (नगर): अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि ग्राम इन्द्रोली तह. कामां के अन्तर्गत रोडवेज की बस से दिनांक 27/12/2008 को समय सायं 4 से 5 के मध्य एक ट्रेक्टर ट्रोली से दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। जिसमें ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और ट्रेक्टर में सवार एक ही गांव व परिवार के व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट में पूरी गलती ड्राइवर की थी। उसके बाद भी ड्राइवर के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई जबकि ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया। पर कोई सुनवाई नहीं की गई। 20-20 हजार रुपये दे इतिश्री कर दी गई। जहां शराब से हुई मृत्यु में एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है वहां पूजा-अर्चना कोकिला वन से आने वाले इन श्रद्धालुओं को इतनी बेदर्दी से मार दिया गया। ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक्सीडेंट को आम एक्सीडेंट में न गिनकर स्पेशल फाल्ट मानते हुए ड्राइवर के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही होनी चाहिए। यह मुद्दा संवेदनशील है इसलिए ऐसी कार्यवाही करें कि रोडवेज ड्राइवर सबक लें और शराब पीकर गाड़ी न चलावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री बाबूलाल बैरवा।

**जाटव परिवार की जमीन का फर्जी बेचान**

श्री बाबूलाल (कठूमर): अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि श्री फूसियाराम पुत्र रामहेत जाटव निवासी कारोली, तहसील नदबई, जिला भरतपुर ने 3-11-90 में स्टाम्प पर वसीयत नामा लिखा कि मैं 85 वर्ष का हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरी पत्नी मर चुकी है। मेरे दो लड़कियां बुद्धि देवी व गोमा हैं। ये ही मेरी देखभाल कर रही है, ये ही मेरी खेती की सम्भाल कर रही हैं। मेरे मरने के बाद मेरी जमीन 6 बीघा 18 बिस्वा के ये ही मालिक होंगी तथा इसके अलावा जो भी घर गैत आदि हैं, उसकी ये ही मालिक होंगी। मैंने ये होश-हवास में बयान दर्ज करवाया है।

उक्त ख.सं. 1550, 3 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 1551, 3 बीघा 54 बिस्वा, कुल 6

बीघा 18 बिस्वा, जो ग्राम मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद पर किसी तरह के विवाद उत्पन्न हों। इसलिये उक्त वसीयत के द्वारा यह तहरीर करता हूं कि मैं जिस सम्पत्ति का मालिक हूं, मेरे मरने के बाद मेरी दोनों पुत्रियां बुद्धि पत्नी गणेश जाटव व गोमा देवी पत्नी धनसी जाटव सकिन पावटा तहसील महुआ, जिला सवाई माधोपुर जो आजकल मेरे पास ही रह रही हैं, काबिज होंगी।

इसके बाद फूसियाराम के मरने के बाद इसकी बेटी व दामाद काबिज थे। फिर उक्त भूमि का बेचान हरिचरण पुत्र बदले जाति जाटव, निवासी खेरली रेल, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा श्री भजन खटीक पुत्र श्री किशनलाल खटीक निवासी खेड़ली गंज के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई व भजन खटीक उस पर काबिज हो गया है। इस सन्दर्भ में निवेदन है कि जब हरिचरण पुत्र बदले जाटव के नाम किसी भी प्रकार का इन्तकाल दर्ज ही नहीं हुआ तो वो दूसरे के नाम कैसे रजिस्ट्री करवा सकता है। इस सम्बन्ध में 5 जून, 1999 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिये थे कि फूसिया जाटव के मरने के बाद किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने षड़यंत्र करके उक्त भूमि को भजन खटीक को बेचान प्रक्रिया में भाग लिया। इसमें वांछित कार्यवाही शीघ्र करवा कर की गई कार्यवाही से मुख्य मंत्रीजी को अवगत करवाया जाये।

अतः उक्त विषय में निवेदन है कि इस फर्जीवाड़े में जिन-जिन लोगों का हाथ है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि उन गरीब जाटव परिवार का उक्त भूमि पर कब्जा करवाया जा सके। इसमें कड़े व सख्त आदेश की आवश्यकता है। इसमें कार्यवाही कितने दिन में सम्पन्न हो जावेगी, बतावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं पर्चियों को निपटाने के बाद कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य को और आपको समय दूंगा।

## सूचना

## बाली विधान सभा क्षेत्र में बच्चों की असामयिक मौत

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इंफार्मेशन है। मेरे बाली विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर के महीने में जब कांग्रेस के लोग इनकी जीत का जश्न मना रहे थे, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आ रहा हूं, मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा बी.पी.एल. परिवार हैं तो बाली विधान सभा क्षेत्र में हैं, लगभग 25 हजार बी.पी.एल. परिवार वहां रहते हैं और आदिवासी खेत्र में लगभग 10 पंचायतें हैं। प्रत्येक पंचायत में एक हजार से ज्यादा बी.पी.एल. परिवार वहां रहते हैं। बड़े दु:ख की बात है कि पिछले एक महीने से लगभग डेढ सौ परिवारों के बच्चे जिनकी आयु एक से

20 साल है, उन बच्चों का देहान्त हो गया। देहान्त होने का कारण दो दिन खांसी, उल्टी, दस्त, प्रमुख कारण हैं। मैंने इसको पिछले दिनों में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया पर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। आज मैं आपका आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी वहां कई उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां नर्स, ए.एन.एम., जी.एन.एम., कोई नहीं है। 10 पंचायतों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है बिमाणा, जहां उसकी पूरी बिल्डिंग पर ताला लगा हुआ है, बंद पडा है। कलक्टर को मैंने पहले भी निवेदन किया था। कलक्टर ने जोधपुर और पाली से टीम भेजी। उनकी जांच हुई। पर जांच में अभी तक कुछ डाइग्नोसिस नहीं हो पाया कि इनकी बीमारी क्या है। और आज भी लगातार बीमारी के कारण बच्चे मर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जांच करने के बाद में बच्चे मर भी गये हैं तो उनको आदिवासी समझकर उनको कभी हास्पिटल भी लेकर नहीं गये, उनके घरों में ही उन्होंने जांच की और नजदीकी हास्पिटल तक सरकार ने उनको वहां तक ले जाने की कोशिश नहीं की। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने देहान्त होने के बाद में पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जिससे आज हमारे पास डेढ सौ बच्चे, जिनकी डेथ हुई है, उसमें एक की भी पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट नहीं हुई है। मैं उस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**Vps- usc-09.01.2009-13.00-1n**

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य। प्लीज, सरकार के ध्यान में आ गया है।

आज दिनाक 09 जनवरी, 2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 18 पर्चियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयी हैं। पहली- श्री निर्मल कुमावत, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में गैस सलेण्डरों की कमी के संबंध में, दूसरी- श्री बंशीधर (खण्डेला)- राज्य में अपहृत बच्चों का सुराग नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी- श्री गुलाब चन्द कटारिया, राज्य में पुलिस हिरासत में मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी- श्री राजेन्द्र राठौड, साहबा लिफ्ट परियोजना के निर्माण के स्वीकृतशुदा कार्य जिसकी निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी हैं, के कार्य को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री निर्मल कुमावत।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर व्यवस्था दे। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोरमेशन के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नहीं, प्लीज, नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम (बसेड़ी): निम्स के छात्र हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्स के छात्र हैं, उनके ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नहीं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। इजाजत नहीं दे रहा हूं। प्लीज, श्री निर्मल कुमावत, आप अपनी बात शुरू करें। श्री निर्मल कुमावत।

श्री सुखराम (बसेड़ी): निम्स के छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया विराजये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्स के छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप विराज जाए। माननीय सदस्य, कृपया विराज जाए। श्री निर्मल कुमावत।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्स के छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? ...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोक हित का मामला है। ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक हित का मामला है, ...(व्यवधान)... बच्चे आज भी मर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री निर्मल कुमावत। कृपया, आप विराज जाए।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्स के छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप विराज जाए।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अत्याचार हो रहा है उनके साथ। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया नहीं, इजाजत नहीं दी जा सकती है1

श्री सुखराम (बसेड़ी): उन छात्रों पर अत्याचार हुआ है। निम्स के छात्रों पर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कृपया, आप विराज जाए, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अनुमति नहीं दी जा सकती है। श्री निर्मल कुमावत। शुरू करें, माननीय निर्मल कुमावत।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उसमें ताला लगा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री निर्मल कुमावत, आपका समय समाप्त हो जाएगा, आप कृपया बोलिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें भी मतलब ताला लगा हुआ है, आज दिन तक ...(व्यवधान)... आदिवासी क्षेत्र के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्स के छात्रों पर इतना अत्याचार हो रहा है। ...(व्यवधान)... इतने दिनों से वे हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो उनको ...(व्यवधान)... एक मिनट, निम्स के छात्रों की ...(व्यवधान)... आप इनसे कहें और इनसे जानकारी करके निम्स के छात्र इतने दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो कोई कार्यवाही सरकार क्यों नहीं कर रही है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करें, श्री निर्मल कुमावत। बाली से आने वाले माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब यह एक बहुत गम्भीर मामला है। उनको इन्होंने चयनित किया है। इन्होंने रोगियों को चयनित किया है तो उसके बाद में हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंचाया? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो भी डाक्टर ने इसको चयनित किया है उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया? उनको मरने के लिए वहां पर क्यों छोड़ दिया गया?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठिये। बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उत्पन्न किया है पाइंट आफ इन्फोरमेशन के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं निवेदन करूंगा कि ...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार जवाब दे। माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं। उसका कारण क्या है, सरकार जवाब दे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप इसको इतना लाइटली ले रहे हैं और इतने 150 बच्चे और मरवाएंगे क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सूचना मुझे दी है मुझे, मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि सारे तथ्यों कि वह जानकारी करके ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह लिस्ट देना चाहता हूं, जो बच्चे मरे हैं। ...(व्यवधान)...

**(सदन पटल पर लिस्ट रखी गयी।)**

श्री अध्यक्ष: बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ इन्फोरमेशन के माध्यम से इन्होंने सूचना दी है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि तथ्यों की जानकारी करके जो आवश्यक कार्यवाही हो, वह करे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप सरकार को निर्देश दे दो। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): निर्देश दो सरकार को। ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक मैं और चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... उनको चयनित कर लिया तो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया? ...(व्यवधान)... उनको बीच में कैसे छोड़ दिया?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि आपकी बात सुन ली मैंने। ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा निवेदन है कि उनको बीच में कैसे छोड़ दिया?

श्री अध्यक्ष: क्षमा करें, आपकी बात मैंने सुन ली । श्री निर्मल कुमावत।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में गैस सिलिण्डरों की काला-बाजारी

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से सरकार का और इस सदन में बैठे सभी लोगों का ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे मैं ही नहीं, मेरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सारी जनता, यहां तक कि पूरा देश ही ग्रस्त होगा, वह है- घरेलू गैस सलेण्डरों की काला-बाजारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दो गैस एजेंसीज हैं। जिनमें कुल उपभोक्ता 19546 है। जिन में सिंगल फेस उपभोक्ता है, सिंगल सलेण्डर- 5622 और डबल वाले हैं- 13724.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बनाये गये हैं उनके तहत बुकिंग के समय से सात दिवस के अन्दर गैस आपूर्ति की जानी चाहिए मगर वहां बीस दिन से एक महीने तक गैस आपूर्ति नहीं की जाती है। जानकारी करते हैं तो यह कहा जाता है कि कोटा नहीं है। कोटा पूरा हो चुका है। गाड़ियां नहीं आ रही हैं। आगे से नहीं आ रही है। गैस एजेंसीज नहीं दे रही हैं। यह आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं और आम जनता भी जानना चाहती है कि यह वास्तव में कोटा नहीं है या गैस एजेंसीज गैस नहीं दे रही है या वास्तव में काला-बाजारी का इनका नया रूप है, क्या रूप है इसका? 1 लाख 83 हजार जनसंख्या है मेरे विधान सभा क्षेत्र की और केवल मात्र दो गैस एजेंसीज हैं तो आपके माध्यम से मैं सरकार का यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप हर नगरपालिका क्षेत्र में एक नई-नई गैस एजेंसी खुलवाइये ताकि आम जनता को इससे ग्रस्त नहीं होना पड़े। जब 300 रुपये में सलेण्डर नहीं मिलता तब तो कोटा नहीं होता और 600 रुपये में सलेण्डर मिलता है तो सब कोटा आ जाता है तो

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार सरकार को कहना चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर मुद्दा है, केवल मेरे से ही नहीं बल्कि हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शायद आप भी इससे ग्रस्त होंगे और इसमें कहीं न कहीं केन्द्र सरकार भी जिम्मेदार है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): चूंकि, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप आपस में समन्वय करके आम जनता को इससे राहत दे। धन्यवाद।

**राज्य में अपहृत बच्चों का सुराग नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति**

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मेरे को बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संवेदनशील सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि पिछले गुरुवार को दो बच्चे एक साथ गायब हो गये। इस संवेदनशील सरकार ने उन बच्चों के बारे में, एक बच्चा महेश नगर थाने से रूबी नाम का था और दूसरा बच्चा रेलवे स्टेशन से प्रीति, बालिका गायब हुई थी। इस संवेदनशील सरकार ने इतने दिन में उन बच्चों के बारे में क्या किया? आज तक कहीं पर भी कोई विस्तार से जानकारी नहीं हुई है। न सरकार की तरफ से हुई है और न पुलिस महकमे की तरफ से हुई है। यदि यही बच्चे किसी पैसे वाले के होते तो सरकार हर दो घंटे में ...(व्यवधान)... मंत्रीजी के भी होते तो, यह बात भी सही है या किसी पैसे वाले के होते तो सरकार दो घंटे में, चार घंटे में एक वक्तव्य जरूर देती कि यह बच्चे यहां पर, इस काम के लिए हम यहां पहुंच गये हैं, उनके करीब पहुंच रहे हैं लेकिन यह लावारिस समझकर, यह बच्चे हैं, किसी कुत्ते के बच्चे नहीं, मानव के बच्चे हैं, इसलिए उनको भी उतना ही तवज्जोह दी जाए जितनी औरों को दी जाती है। इस संवेदनशील सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि आज तक इस बारे में कोई संवेदनशीलता नहीं आयी है। इसी तरह यदि, पहले 2007 में एक अमित नाम का लड़का गायब हुआ था, उसी टाइम तत्कालीन सरकार ने उस बच्चे को बरामद किया था। वह एक संवेदनशील सरकार थी। मैं दुबारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि अमीर के बच्चे को ही नहीं, इन गरीब के बच्चों के लिए भी संवेदनशील सरकार अपने आपको अच्छी मानती है तो इन बच्चों को भी ढूंढने की कोशिश करे। जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है। एक प्रार्थना करना चाह रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक प्रार्थना है कि इनको बाराबर प्रार्थना ही करने दो। पूरे दिन प्रार्थना ही करने दो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप इनके असिस्टेंट हो क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नहीं, इन दोनों ने तय कर रखा है। प्लीज।

## पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजे की व्यवस्था

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन के सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पुलिस अभिरक्षा में निश्चित रूप से कभी-कभी कस्टडी डैथ होती है। यह कोई पहली बार हुई, ऐसा तो मैं आप अपर कोई आरोप नहीं लगाता लेकिन इस बात पर जरूर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद राजस्थान की आजादी के बाद यह पहला 29 तारीख का दिन होगा जिस दिन एक साथ राजस्थान के दो छोर पर दो कस्टडी डैथ हुई। एक झुन्झुनूं जिले में चिड़ावा थाने में और दूसरी उसी दिन उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाने में। इन दोनों कस्टडी डैथ, सामान्यतया अगर पूरे वर्ष का आकड़ा उठाये 1999 से लेकर अब तक तो वर्ष में कभी-2, कभी-3, कभी-2, कभी 2-3, इससे ज्यादा कभी कस्टडी डैथ नहीं हुई है।

यह जो दोनों कस्टडी डैथ है, इसके अन्दर आपको सीरियसली केस को देखना चाहिए। यद्यपि, पिछली सरकार के समय हमने इसको जुडिशियल जांच में डाल दिया ताकि कस्टडी डैथ होगी तो कोई न कोई मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको दंड मिलेगा। पहले एस.डी.ओ. के माध्यम से होता था, उसको हमने बदलकर मजिस्ट्रेट के आधार पर जांच होगी लेकिन इसमें आपको जो चिड़ावा की जो घटना है, इस घटना को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह जो सुरेश नाम का जो है, धनखड़, जो लड़का है, 26 साल की उम्र का है, इसके घर में एक जो बड़ा भाई है वह मेंटली डिस्टर्ब है, दूसरा भाई अपंग है और यह तीसरा भाई एक मात्र है। घटना क्या है कि कहीं कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि किसी की कुएं से मोटर चोरी हो गयी। उस मोटर चोरी के मामले में एक तो जो पानी निकालने का जो पम्प होता है उसका और उसको 28 तारीख को गिरफ्तार किया गया और 28 तारीख को गिरफ्तार करके उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ लेकिन पुलिस ने बड़े अच्छे ढंग से इस केस को जिस ढंग से बनाया है। मैं केवल इसमें आपको थोड़े से शब्द जो एस.पी. का जो बयान है, वह केवल आप एक बार इसमें देखें तो आपको स्वयं को लगेगा कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। एस.पी. जो कहता है- चोरी के आरोपी सुरेश को

पूछताछ के लिए बुलाया था। एक अन्य आरोपी जे.पी. का पता लगाने, पुलिस जिसे साथ लेकर चिड़वाना गयी थी, वहां पहुंचकर पुलिस पूछताछ में लग गयी। सुबह सात बजे करीब धुंध का फायदा उठाकर सुरेश कुएं में कूद गया। धमाके की आवाज सुनकर, आगे पढ़िये आप, धमाके की आवाज सुनकर पुलिस को इधर-उधर खोजते हुए कुएं में, मतलब धमाके की ...(व्यवधान)... पुलिस के साथ है।

**Spp/usc/9.1.09/13.10/1o(1)**

पुलिस उसके साथ है, व्यक्ति उसी गाड़ी में बैठा हुआ है। पुलिस का यह कहना है कि धुंध का लाभ उठाकर भागकर कुए में गिर गया और कुए में गिरने की आवाज उनको सुनाई दी और इसके कारण वह ढूंढ़ते हुए उस कुए के पास पहुंचे। यह निश्चित रूप से बनावटी घटना है।

श्री अध्यक्षः यह जो बयान है, इसकी आथेंटिसिटी क्या बयान...(व्यवधान)..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह स्वयं एस.पी. के वर्डिंग हैं। एस.पी.के वर्डिंग हैं। यह तो जॉच में आपको सारी चीज निकल जायेगी। एस.पी. ने तो अपनी तरफ से कहा, एस.पी.का वर्शन है जो उसने जनता के बीच में जाकर कहा और उसके बाद सारा का सारा पेपर ने भी उनके इन्वरटेड कोमाज में एस.पी.के जो वर्ड हैं उनको इन्वरटेड कोमा में डालकर पत्र में अपनी बात को कहा है तो उस घटना के कारण वह कुए के अंदर जाकर गिर गया। मैं यह बात समझ नहीं सकता कि कुए में गिरने के बाद धमाका किसका हुआ? धमाका तो हो नहीं सकता क्योंकि कुआ तो खाली है और कुआ सवा सौ फीट गहरा है। कुए में एक बूंद पानी नहीं है तो उस कुए से धमाके की आवाज वहां खड़ी हुई गाड़ी में कैसे आई और पुलिस को कैसे आई और उसके बाद उन्होंने बनावटी बात बनाकर उसके कुए में गिर जाने की बात कही। उसका जो पोस्टमार्टम हुआ, यह निश्चित रूप से यह कस्टडी डैथ पुलिस थाने में, उस चौकी में उसकी मारपीट के कारण से होने से हुआ। कस्टडी डैथ की जॉच तो मजिस्ट्रेट से जायेगी। जिनको सस्पैण्ड करना है, उनको आप सस्पैण्ड करिये, लेकिन उस परिवार के पालन-पोषण के लिये आप क्या कर रहे हो, जो आपकी नादानी से या पुलिस की लापरवाही के कारण से मर गया। उसके घर में उसके दो बेटे पहले से ही पागल हैं। उनके बाद यह तीसरा बेटा है, उनको आप आर्थिक सहायता क्या दे रहे हैं? उसके परिवार के पालन-पोषण के लिये क्या कर रहे हैं? सामान्यतः सरकार जो ऐसी कस्टडी डैथ होती है, उसमें एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है तो निश्चित रूप से उसको एक लाख रुपये की सहायता तुरन्त सरकार को घोषित करनी चाहिये।

इसी तरह से आपने देखा वल्लभनगर का, मतलब एक दिन में दो घटना और इसी प्रकार से वल्लभनगर की घटना में आपने देखा होगा, वल्लभनगर पिछले गृह मंत्रीजी का विधान सभा क्षेत्र था, उसमें लोभचन्द एक लड़की को उठाकर ले गया था। उसको पकड़कर हैदराबाद से लाये थे, उसकी डैथ हुई। उस डैथ में भी इसी तरह से रफा-दफा होकर काम खत्म हो गया कि उसने पोइजन खा लिया, खत्म हो गया। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। वल्लभनगर में सुरेश सोनी ने एक अपराध किया, उसे दण्ड मिले, उसकी गिरफ्तारी करें, गिरफ्तारी से आपको जो बरामदगी करना है, उसने जो कर्म किया है या उसने जो गलती की, उसकी तरफदारी मैं नहीं करना चाहता। न मैं इसके पक्ष में हूं कि उसने जो कुछ किया है, गलत किया है तो पुलिस को पकड़ना चाहिये, लेकिन मुझे आप यह बता दो कि आज दिन तक इस कस्टडी डैथ के बाद पुलिस ने यह इंस्ट्रेक्शन दे रखे हैं कि केवल चड्डी-बनियान के अलावा और किसी कपड़े को लेकर अन्दर कस्टडी में नहीं रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार से फांसी खाने की कई घटनाएं हुई हैं। इसके कारण से केवल चड्डी-बनियान में रखते हैं। उस कस्टडी में केवल दो लोग हैं, एक उसका साथी है मीणा, वह उसी कस्टडी में है, दोनों ही सो रहे हैं और दूसरा जो लड़का है, वह कहता है चार बजे जब मैं पानी पीने उठा था, उस समय यह सो रहा था और चार बजे से लेकर छह बजे के बीच पुलिस आपकी मौके पर मौजूद है और उसके बाद उसने अपनी धोती फाड़ी। इसका मतलब आपने उसको धोती अलाऊ किया जिससे धोती फाड़कर उसने उससे रस्सी बनाई और रस्सी बनाने के बाद लटककर उसने अपने आपको हैंग कर लिया तो यह इस प्रकार की जो घटनाएं हैं। जब आपके पास नियम हैं, आपको यह बता रखा है कि कस्टडी में जब आप बंद करोगे तो ऐसी कोई चीज उसके पास नहीं रखोगे, जिससे इस प्रकार की कोई हैंग की घटनाएं हो सकें। पुलिस थाने के सब लोगों को उन्होंने भी बर्खास्त किया। यद्यपि आपके झुन्झुनूं में केवल दो सिपाहियों को बर्खास्त करके आपने इतिश्री कर ली, जबकि नियम यह है कि जब कभी भी कस्टडी डैथ होती है तो पूरा थाना चेंज होता है । उदयपुर का थाना चेंज हुआ लेकिन झुन्झुनूं में जो चिड़ावा का थाना है, उसमें केवल आपने दो सिपाहियों को लाइन हाजिर करके आपने अपनी इतिश्री कर ली। मेरा आपसे फिर आग्रह है अगर इस प्रकार की ढिलाई करेंगे तो आये दिन इस प्रकार की कस्टडी डैथ होगी और इसका कारण क्या हुआ कि उसने हैंग किया। केवल इतना ही कारण था कि उसने चारी की होगी या चोरी का माल लिया होगा या वह लूट में शरीक था तो वह उसके अपराध का दण्ड भुगतेगा, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट में

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

जो भी सज़ा होगी, वह देगी, लेकिन आप उसको हथकड़ी लगाकर उसके स्वयं के गांव में घुमाओ, जहां आपको कोई बरामदगी नहीं करनी तो वह अपमानित होगा। इसी

प्रकार से आपने बहाना क्या बनाया झुन्झुनूं वाली घटना में कि हमको बरामदगी करनी थी। मैं आज पूछना चाहता हूं क्या बरामदगी हुई ? क्या आपने मोटर बरामद की ? क्या उस कुए में मोटर थी और अगर थी तो आप सवेरे उठाकर जब ले गये, धुंध थी। आप अगर आठ बजे भी ले जाते तो क्या वह बरामदगी सम्भव नहीं थी? इसका मतलब यह है कि जब रात को आपके कस्टडी में मर गया, उसके बाद आपने धुंध का बहाना बनाकर ले-जाकर उसे कुए में डालकर खत्म करके अपने केस की इतिश्री कर दी। इस प्रकार की घटनाएं, अगर इस प्रकार की कस्टडी डैथ की घटनाएं होंगी तो क्या होगा? महोदय मंत्री कोई व्यक्ति दोषी होगा तो वह दण्ड का भागी बने पर आप उसका पार्टनर क्यों बनते हो? उसके परिवार का भरण-पोषण हो, उसको उचित मुआवजा मिले। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से आज घोषणा होनी चाहिये कि वह दोनों परिवारों को जो कस्टडी डैथ के नियम के तहत आपको अधिकार है, वह उनको सहायता जरूर मिले जिससे उनके परिवारों को कुछ न कुछ सहायता दे सकें और फिर जांच के बाद दोष निकलेगा, अगर 302 का केस बनाना है तो बनाइये।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। ..(व्यवधान)..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है। ..(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कटारिया साहब ने दो मामले उठाये। पहली बात तो मैं यह निवेदन कर दूं कि आपने कहा दोनों घटनाएं एक ही दिन की हैं। जबकि दोनों घटनाओं में एक 27 तारीख की है और दूसरी घटना 29 तारीख की है। दूसरी बात आपने यह कही कि कस्टडी में सिर्फ चड्डी-बनियान से ही उसको अंदर जाने दिया जाये। यह दिसम्बर का महीना है, ठंड के दिन हैं, कम से कम धोती पहनकर अगर वह चला गया तो क्या एतराज है? (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): बात कह लेने दो, ऐसे मत करो। ..(व्यवधान)... तीसरी बात आपने यह कही कि झुन्झुनूं के मामले में सिर्फ दो कांस्टेबलों का निलम्बन किया गया, जबकि एक हैड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबलों को लाइन हाजिर किया गया है। चौथी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों मामलों में न्यायिक जांच चल रही है। न्यायिक जांच का फैसला आ जाने दीजिये। न्यायिक जांच का फैसला आने दीजिये। ..(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कम्पनसेशन क्या दे रहे हो इस बारे में बोलो आप तो। बाकी तो मैंने ही कह दिया कि ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच हमने कानून के तहत ही बना दी थी पिछली बार, वह तो होनी ही है। ..(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): जांच के फैसले के बाद सरकार तय करेगी। जांच चल रही है। ...(व्यवधान)..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा है कि कस्टडी डैथ में आपका नियम अलाऊ करता है कि कस्टडी डैथ में जिसकी डैथ होती है एक लाख रुपये उसको कम्पनसेशन देते हैं। कोई आप अलग से नहीं दे रहे हैं। जो आपके पास नियम बने हैं, उसके तहत देना है। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़ । .(व्यवधान).. क्या बात हुई?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात इसलिए हुई ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यही तो बात हुई। ..(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात इसीलिए हुई कि आप जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। अब इनको अधिकार तो है नहीं कि कुछ घोषणा कर सकें। तो इस सदन में कोई बात कहें ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सरकार के प्रतिनिधि हैं, इनको सारे अधिकार हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मजाक नहीं है। दो कस्टडी डैथ हो जाये और कस्टडी डैथ होने के बाद में मंत्री खड़े होकर मजाक में नाटक कर दें। सर्दी का महीना है, क्या बात है यह? आप गंभीरतापूर्वक इस बात को नहीं करते।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आज क्या बात है, कोई डांस-वांस करने का मूड है क्या आपका ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह गंभीर बात है, डांस करने की बात कहां से आ गयी। ..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: यह राठौड़ साहब तो सर्दी में डांस करते रहते हैं। ..(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो लोगों की कस्टडी डैथ हुई है, उनका नियम यह बना रखा है कि जांच होती है। सुनो तो सही। ..(व्यवधान)..

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): जांच हो रही है न, न्यायिक जांच हो रही है। फिर क्या तकलीफ है आपको? आने दीजिये जांच की रिपोर्ट। ..(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, तकलीफ है मुझे। .(व्यवधान)... पुलिस किसी को पकड़कर मार नहीं सकती। तकलीफ है मुझे। ..(व्यवधान).. यह तकलीफ है मुझे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): जांच की रिपोर्ट आने दीजिये। ऐसे नहीं करेगी सरकार, नहीं। ..(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जांच की रिपोर्ट के आने से पहले नियम है कि कस्टडी डैथ के तुरन्त बाद में परिवारजनों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाती

है। ..(व्यवधान).. इसलिए हमारी मांग है कि उन गरीब लोगों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाये। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपने मांग कर ली। ..(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जब आपने यह मान लिया और लाइन हाजिर कर दिया, सस्पैण्ड कर दिया, जांच कर दी तो फिर एक चीज को क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं मांग करता हूं कि उनके परिवार वालों को मंत्री महोदय एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा करें। ..(व्यवधान)..

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आप नियम की बात कर रहे हो तो आपके शासन के दौरान 13 मामलों में पुलिस हिरासत में मौतें हुई हैं। कहां दी आपने कुछ..(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हमारी सरकार तो बहुत संवेदनशील थी। ..(व्यवधान)..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह आपके राज और हमारे राज को समझने की कोशिश करो। अगर आपके राज और हमारे राज की बात कर रहे हो न तो पिछली सरकार के तो, पिछली सरकार के 1999 से लेकर 2003 तक 22 लोगों की कस्टडी डैथ हुई और हमारे राज में केवल 13 हुई। आपकी नई सरकार के आने के बाद एक महीने में दो कस्टडी डैथ हुई। क्या बात करते हो ...(व्यवधान)... पहले नियम नहीं था कस्टडी डैथ का पैसा देने का। ...(व्यवधान).. तब उसके बाद हमने नियम बनाया। कस्टडी डैथ हो जाने के बाद परिवार को राहत देने की दृष्टि से एक लाख रुपये उस परिवार को कम्पनसेशन देकर हम जो भी राहत हो सकती है, वह देने की बात करते हैं।

**Pcs-usc-09.01.09-13.20-1p**

सरकार की तरफ से पहले नहीं था यह नियम। हमने इस नियम को बनाया और नियम के साथ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट से जांच करवाने का नियम भी बनाया। पहले तो हल्ला इसी बात से होता था कि ज्युडिशियल जांच करवाओ – ज्युडिशियल जांच करवाओ। हमारे राज में जब इस प्रकार की घटनायें हुई तो हमने अपने आप, चलाकर ही ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट को जांच का अधिकारी बना दिया ताकि उसमें सही चीज आ जाये लेकिन इसमें कम्पनसेशन देने में, जब आप एक ओर थाने को लाइन हाजिर करते हैं, सस्पेन्ड करते हैं तो उसको सहायता देने में सरकार का ऐसा कौनसा नुकसान हो जायेगा, कि जब गरीब परिवार से व्यक्ति गया है। तो उसमें भी अभी यह तय नहीं है कि कुएं में गिरा या गिराया गया। उसकी मदद करने में आपको क्या एतराज है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिये। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): रिपोर्ट आयेगी छह महीने में, आठ महीने में। तब तक उस परिवार का क्या होना है।

श्री अध्यक्ष: चलिये समाप्त करें कृपया। श्री राजेन्द्र राठौड़। नहीं बोलना ?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): वहां फरियाद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो। गुलाबजी भाईसहाब से निवेदन है कि यहां क्या फरियाद करें। यहां तो नाचने-गाने वाली मण्डली के नाटक हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। माननीय सदस्य, आपके व्हिप बोल रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री वगैरह सब कहां चले गये ?

श्री अध्यक्ष: बैठे हैं। तीन केबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं। तीन केबिनेट, एक स्टेट। पाँच बैठे हैं केबिनेट मिनिस्टर। एक स्टेट मिनिस्टर भी है। आप देख नहीं पाये शायद इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के पास शून्यकाल में कुछ कहने का मौका मिलता है। मैं एक प्रार्थना करूँगा ये स्थगन प्रस्ताव जो आप बड़ी कृपापूर्वक लगाते हैं, कम से कम जिस विभाग का स्थगन प्रस्ताव हो उस विभाग के मंत्री को तो सदन में रहना चाहिये। यह उनका अधिकार है कि वह उनका जबाव दें या नहीं दें। हालांकि संवेदनशील सरकार है।

श्री अध्यक्ष: सरकार का प्रतिनिधि है। आप तो अपनी बात कहें वरना इसी में समय चला जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, समय की बात नहीं है। आप कहें तो बैठ जायें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैंने मौका दिया है। आप नहीं बोलना चाहें तो आपकी मर्जी है।

डॉ0 रघु शर्मा (केकड़ी): आप बैठ ही जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तो बैठने की इच्छा है। बैठ जाओ क्या है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पिछले पाँच सालों में क्या हुआ ध्यान है ? पिछले पाँच सालों में आपने क्या किया ध्यान है ? शरम करो थोड़ा। अब समझ में आया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पिछले पाँच सालों में, अध्यक्ष महोदय, जब कभी सदन में कोई सवाल उठा, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें जब कभी भी कोई सवाल उठा सत्तापक्ष ने उनका जबाव दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इनके शासन का आधार है ....

डॉ0 रघु शर्मा (केकड़ी): आपके गले की घण्टी बन गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह क्या ?

श्री अध्यक्ष: यह कोई जरूरी है क्या कि ये जब बोलें आप बोलें ही ? (व्यवधान) प्लीज।

## साहवा लिफ्ट परियोजना के स्वीकृत कार्यों की निरस्ती

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इनके शासन का आधार और मुख्य सचिव को इस मजबूत इरादे के साथ सौंपा गया कि घोषणा पत्र में अंकित जो वायदे हैं उन वायदों को कांग्रेस पूरा करेगी। हालांकि कोई समय सीमा नहीं, पर अध्यक्ष महोदय, कुछ थोथी वाह-वाही लेने के लिये वह काम जो पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिये और इससे आगे भी पूर्ववर्ती सरकार ने जिन कामों की निविदायें आमंत्रित कर लीं, राजनीति में शासन आता और जाता रहता है पर जनकल्याण का काम, जनता के हितार्थ का काम वह जनता के लिये होता है। हरेक चीज को राजनीति के चश्में से नहीं देखें। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी तरह की बानगी प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो निविदायें आमंत्रित हो गई, मैं कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी निविदायें तीस और इकत्तीस तारीख को आमंत्रित हो गई, यहां से राज के हुक्मरानों के यहां से हुक्म जाता है कि चूंकि ये निविदायें पिछले सरकार के समय आमंत्रित हो गई थी इसलिये अब इस काम को बन्द करें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि उस निविदा के साथ जुड़े हुये चौबीस गांव और चौबीस गांव के हजारों लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। हम इनकी बानगी खोल देंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अन्दर साहवा लिफ्ट परियोजना बनी। इस परियोजना में चूरू के एक सौ चौंसठ गांवों को सम्मिलित किया गया। 160 किलोमीटर नहर बनकर तैयार हो गई और 167 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरी भी बन गई और 1997 में जब हम लोग उधर थे तब उसका सी.सी. एरिया भी दो लाख चालीस हजार हैक्टेयर तैयार कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, किसानों की बड़ी बात करते है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लगातार होते रहते हैं, चलता रहता है। 1998 से 2003 में जब इनका शासन था अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक पार्टियों के अन्दर आन्तरिक मतभेद भी रहते हैं और उस समय तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो पूर्व में वित्त मंत्री थे और बीच में इनसे कुंठित होकर त्यागपत्र दे गये, उनके कारण से इस साहवा लिफ्ट कैनाल में पूरे पाँच साल में सिर्फ 39 करोड़ रूपये खर्च हुये और इक्यावन किलोमीटर नहर बनी और 2003 से 2008 के बीच 71 करोड़ रूपये खर्च हुये तथा एक सौ चौदह किलोमीटर नहर बनी।

अध्यक्ष महोदय, इसी कांग्रेस के समय में सन् 2000 में ऐसे चौबीस गांवों को यह

कहकर मूल योजना से निकाल दिया कि नीचे हार्ड पेन है, लिफ्ट से पानी लग नहीं पायेगा। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारी सरकार ने जब उसका सर्वे करवाया और जब उसकी फिजिलिबिलटी रिपोर्ट आ गई और उस फिजिलिबिलटी रिपोर्ट के आधार 14.10.2008 को राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ.9(16)आईजीएनपी(एम)/2007 उसमें प्रतिबंधित जो एरिया था उसको दस हजार चार सौ पचपन हैक्टेयर खोलकर 14 करोड़ के उस नहर निर्माण की निविदायें आमंत्रित कर दी 30 दिसम्बर को। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूछना चाहता हूं यह विधान सभा, मैं प्रतिनिधि बनूं या दूसरा प्रतिनिधि बने, मंजूरशुदा काम, स्वीकृतशुदा काम, जनता के पैसों से होने वाला काम, इन्होंने राजनैतिक चश्में से रोका है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तरह का विचार नहीं होना चाहिये। सरकारें आती और जाती रहती हैं। अगर इस तरह के चश्में से हम देखेंगे तो लाखों किसानों के साथ हम अन्याय कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अन्दर इस किसान हितैषी सरकार का असली चेहरा सामने आ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसिलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बड़ा गम्भीर मसला है और मैं आपके माध्यम से यह चेतावनी देता हूँ कि अगर एक महीने के अन्दर-अन्दर इस काम को नहीं चालू किया गया तो हजारों किसानों के साथ तारानगर का एम.एल.ए. यहां पर धरने पर बैठेगा। यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वित्तीय प्रावधान तो किया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वित्तीय प्रावधान नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, फैसला आप कर लें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इतनी बिचकानी बात नहीं कहनी चाहिये। (व्यवधान) किस तरह का प्रावधान नहीं किया ?

डॉ0 रघु शर्मा (केकड़ी): अब तो बिराज जाओ।

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करें क्या कहना चाह रहे थे ?

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट ऑफ इनफारमेशन के तहत आपके माध्यम से सदन के नेता महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें राज्य के एक पूर्व मुख्य मंत्री के द्वारा विगत कार्यकाल के दौरान हुये बाईस हजार करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार .... (भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। कृपया बैठिये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): बाईस हजार करोड़ रूपये का हिसाब दें जनता

को। जनता आपसे हिसाब मांगती हैं। आपकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं .... (व्यवधान)

डॉ0 रघु शर्मा (केकड़ी): इन्हीं के नेता ने मांगा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये। आपको मैं यह कहना चाह रहा हूं .... (भारी व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): आपकी पार्टी के नेता ही आपका नाम ले रहे हैं। (व्यवधान)

**Msr/usc/1330/1q/09012009/**

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। ...(व्यवधान)... एक बार बैठें, माननीय सदस्य। ...(भारी व्यवधान)... आसन पांवों पर है, कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आसन पांवों पर है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय। ...(भारी व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 13.30 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई।)**

**Ars/usc/1400/2c/09012009/1** अशोधित प्रित/प्रकाशनार्थ नहीं

**( समय: 14.00 बजे )**

पुन: समवेत् होने पर

**( श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन )**

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आसन ने मुझे अनुमति भी प्रदान की थी ।

श्री अध्यक्ष: आसन ने अनुमति प्रदान नहीं की । मैंने यह कहा था आपसे मैं व्यवस्था के प्रश्न से पहले कोई व्यवस्था दे रहा हूं, आदरणीय राजेन्द्र सिंह जी आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं

व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: कोई चर्चा है ही नहीं ऐसी जिस पर व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है, अध्यक्ष महोदय, यह आसन भी नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है। संविधान के आर्टिकल 208 के तहत आपने यह पुस्तिका हमें दी है जिसको पढ़कर हम इनका पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं वह बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं कहना यह चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपने काटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य को इजाजत दी, किन नियमों में दी उसका जिक्र नहीं करूंगा पर उन्होंने अपनी बात को (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अगर आपने मुझे बताया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बात कहने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर उन्होंने बात को जिस प्रकार प्रारम्भ किया और जिस तरफ इंगित करते हुए प्रारम्भ किया, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 273 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जिसके अन्दर साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध अगर किसी भी तरह का मानहानि का या कोई आरोप लगाएं तो पहले संबंधित को नोटिस दें (व्यवधान) अब नये माननीय सदस्यों को हम अपनी राजनीतिक अपेक्षा की पूर्ति के लिए (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): यह कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): कोई नामजद आरोप नहीं है (व्यवधान) कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहा है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजनीतिक अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए नये सदस्यों का हम इस्तेमाल करेंगे (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): यह चोर की दाढ़ी में तिनका है (व्यवधान) आप सब हो (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): पूरे राजस्थान के अन्दर पेपर में आया है, पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है (व्यवधान) पूरी सरकार पर आरोप है (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): पिछली सरकार के खिलाफ भैरोंसिंह जी ने जो बाईस हजार करोड़ का आरोप लगाया है (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चले (व्यवधान) यह हम सभी चाहते हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गम्भीर मुद्दे की बात उठाना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह नियम 273 की तरफ आप अगर मुलाहिजा फरमा लें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चले (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मैं कोई गम्भीर विषय उठाना चाहता हूं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं (व्यवधान) भविष्य के साथ जुड़े विषय उठाना चाहता हूं (व्यवधान) यह अनावश्यक रूप से समय बर्बाद कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): यह एक एक पेपर बोल रहा है, मीडिया (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और जिस तरह औछी राजनीति करने की बात कर रहे हैं (व्यवधान) जिस तरह की राजनीति (व्यवधान) सदन में बात कर रहे हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: भैरोंसिंह जी पर लगाओ ना (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पाइंट आफ इन्फार्मेशन के तहत मैं कोई गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): कोई सदस्य सही बात कह रहा है, सच्चाई कह रहा है, ईमानदारी की बात कह रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सदन का फालतू में समय जाया कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो आरोप लगाये हैं उनको एक्सपंज कराएं अध्यक्ष महोदय, वरना यह सदन (व्यवधान) अखाड़ा बन जाएगा। यहां नये आने वाले माननीय सदस्य, जो कल आए हैं उनका इस्तेमाल हम करें, उनका इस्तेमाल इस औछी राजनीति के लिए करें (व्यवधान) उनको खड़ा करके आरोप लगा दें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: देश की आजादी के बाद कितने घोटाले किये (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिसका पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है, सारा मीडिया कह रहा है, सारे पेपर कह रहे हैं बाईस हजार करोड़ का (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। श्री ओम बिरला। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): पूरे राजस्थान का डवलपमैंट होता, सारे किसानों के कर्जे माफ होते (व्यवधान) किसानों के हितैषी बनने वाले (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आसन पांवों पर है। श्री ओम बिरला (व्यवधान) प्लीज, क्या कहना चाहते हैं ओम बिरला?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सारे के सारे (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपके सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह कभी उस अख़बार की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि अख़बार ओथेन्टिक नहीं है1 इनसे पूछो जिन्होंने आजादी के बाद से लेकर अभी तक भ्रष्टाचार का बीज बोया हो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः पूरे में भाँग पड़ी हुई है, सारे आंगनबाड़ी का खा गये (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप किस पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सदन में चर्चा करें, सदन में चर्चा क्यों नहीं करते हैं। आपकी सरकार है, प्रमाणित करके तथ्य प्रस्तुत करो सदन के अन्दर (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, विराजें, कृपया विराजें। आप किस पर बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोई निचोड़ नहीं है (व्यवधान) कोई विषय नहीं है उन बातों को चिल्ला रहे हैं (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): पूरे राजस्थान की जनता पर लगाया है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस तरह कार्यवाही नहीं चल सकती (व्यवधान) इस तरह कार्यवाही नहीं चल सकती (व्यवधान) इस तरह आरोप क्यों लगा रहे हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः तकलीफ है (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें (व्यवधान) प्लीज माननीय उप नेता (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): अख़बार पढ़ने के बाद तो इनको (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय जाड़ावत साहब प्लीज विराजें। माननीय विरोधी पक्ष के उप नेता (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह कोई तरीका नहीं है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): हिन्दुस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति महोदय ने इतना बड़ा गम्भीर आरोप लगाया है कि बाईस हजार करोड़ रुपये का (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप तो शराब बंदी कर दो (व्यवधान) आप तो गांधी दर्शन के लोग हो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जांच होनी चाहिए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, नेता महोदय को पत्र भी लिखा है। यह सदन जानना चाहता है कि पत्र लिखा है तो उसमें क्या है और बाईस हजार करोड़ का घोटाला क्या है (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सत्तारूढ पार्टी जान बूझकर (व्यवधान) इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रहे हैं (व्यवधान) आप हमारे पर आरोप लगाएं, हम जवाब देंगे इस बात का (व्यवधान) आप जान बूझकर सदन का समय खराब करना चाहते हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कोई तरीका नहीं है सत्तारूढ़ दल का (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इसमें इनका स्पष्टीकरण हम सुनना नहीं चाहते (व्यवधान) हम तो नेता प्रतिपक्ष (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इतना गम्भीर आरोप लगाया है माननीय मंत्री महोदय को बाईस हजार करोड़ के (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: घोटाले की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह सदन जानना चाहता है कि क्या ऐसा पत्र लिखा गया है और लिखा गया है तो किसकी जांच के लिए लिखा गया है, जानने का हक है सदन को (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना सिर्फ इतनी है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: घोटालों की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही तो की है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सदन के नेता ने पूर्व नेता से, सम्माननीय नेता से यह जानना चाहा (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय राजीव गांधी, माननीय नरसिंहराव (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इस तरह नहीं चलेगा हाउस (व्यवधान) इस तरह नहीं चलेगा, (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस तरह नहीं चलेगा (व्यवधान)

( भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे )

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): (व्यवधान) नेता ने कहा है कि देश की गरीब जनता के पैसे का क्या हिसाब है (व्यवधान) प्रतिपक्ष इस तरह से अपने भ्रष्टाचार को छिपा नहीं सकता (व्यवधान) यह अपराध बोध से ग्रसित हैं माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

( कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 14.07 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)**

**vns/usc/15.00/09.01.2009/2j/1/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं**

**पुनः समवेत् होने पर**

**(15.07 बजे)**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): बाबो सा का कहना है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान..(व्यवधान) यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

क्या तरीका है यह..(व्यवधान) क्या तरीका है यह..(व्यवधान) क्या तरीका है यह..(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य..(व्यवधान) कृपया माननीय सदस्य..(व्यवधान) माननीय सदस्य..(व्यवधान) माननीय सदस्य..(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 15.08 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई।)**

**ssy/akt/16.00/09.01.2009/2p/1/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं**

**(समय: 16.08 बजे)**

पुनः समवेत् होने पर

**(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि यह जो 22 हजार करोड़ के घोटाले का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उसकी जांच करायी जाये ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: समझ में नहीं आ रहा है ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): हाई कोर्ट के जज से जांच करायी जाये यह हमारी

मांग है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बिराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान..(व्यवधान) यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

( प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश )

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया आप व्यवस्था चलने दें ..(व्यवधान) कृपया माननीय सदस्य..(व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया व्यवस्था बनाये रखें ...(व्यवधान)... कृपया व्यवस्था बनाये रखें ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः 22 हजार करोड़ का सवाल है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य गण, कृपया व्यवस्था बनाये रखें ...(व्यवधान)... सदन की कार्यवाही पौने पाँच बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

**( तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.09 बजे 16.45 बजे तक के लिये स्थगित हुई। )**

**jyg/akt/9.1.9/16.40/3c**

**(16.45 बजे)**

(पुनः समवेत् होने पर)

**(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः एक मिनट, समय के लिए ...(व्यवधान)... समय के लिए।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची में शामिल कार्यों के पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाता है।

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने आसनों से खड़े होकर नारेबाजी व व्यवधान)

...(व्यवधान)... कृपया सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सहयोग करें। ...(व्यवधान)... कृपया सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सहयोग करें। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): राजस्थान की पूर्व सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पर आरोप लगाए हैं उनकी हाई कोर्ट के जज से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही चलाने के लिए दोनों पक्षों से निवेदन करूंगा कि कृपया आसन का सहयोग करें। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन में यह मांग करते हैं कि इन सारे प्रकरणों की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं पुन: आग्रह करना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि वे सदन की कार्यवाही चलाने में कृपया सहयोग करें। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया सहयोग करें सदन की कार्यवाही चलाने में। ...(व्यवधान)...

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): 22 हजार करोड़ रुपए का घोटाला इनके नेता ने खुद ने मान लिया। ...(व्यवधान)... जिन लोगों ने घोटाले किए उन लोगों की जांच होनी चाहिए। जो लोग सदन के वेल में आकर खड़े हैं वे लोग ही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। ...(व्यवधान)... अध्यक्षजी, इन सारे मामलों की जांच कराएं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। मेहरबानी करके सदन की कार्यवाही चलाने में सभी माननीय सदस्य सहयोग करें, मैं निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

**Gpc/akt/09012009/1650/3d**

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 7.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 16.52 बजे 19.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

मोहन/अरूण/09012009/1900/**4a**

**पुनः समवेत् होने पर**

**(19.00 बजे)**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

श्री अध्यक्षः कृपया शांति रखें। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः आप इसकी जांच की घोषणा करवाइए। ...(व्यवधान)...

**सदन की मेज पर रखे गये पत्र**

**प्रतिवेदन एवं लेखे**

**राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008**

श्री अध्यक्षः श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 192 की धारा – 31 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः इन्होंने पाँच साल तक भ्रष्टाचार किया, दोनों हाथों से राजस्थान की जनता को लूटा ...(व्यवधान)... यह जो 22 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है, इसकी हाई कोर्ट से जांच करवाई जाए। ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 192 की धारा – 31 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं। ...(व्यवधान)...

**नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008**

**वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2007-2008**

श्री अध्यक्षः श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं (1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) एवं (2) वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष, 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं।

**विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन**

**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009**

श्री अध्यक्षः श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)**

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63 (I) के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (I) के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में नारेबाजी)

**जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009**

श्री अध्यक्ष: श्री शांति कुमार जी धारीवाल, प्रभारी मंत्री, जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बिराजो, बिराजो ...(व्यवधान)...

प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2008 को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे।

बिराजो, माननीय सदस्य, बिराजो ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)... मैं आप सब से कह रहा हूं, आप बिराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2008 को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं ...(व्यवधान)...

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)**

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें, कृपया शांति रखिए, तब कार्यवाही आगे चलाना संभव हो पाएगा।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): हिम्मत है तो भैरोंसिंह जी के घर पर जाकर नारे लगाइए तो पता चले आप लोगों में कितनी हिम्मत है, जो खुले में पूरे हिन्दुस्तान में चुनौती ...(व्यवधान)...

**जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009**

श्री अध्यक्ष: श्री शांति कुमार धारीवाल ...(व्यवधान)... प्रभारी मंत्री, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): हिम्मत है तो भैरोंसिंह जी के घर पर जाकर नारे लगाइए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2008 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2008 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): शाम को बाबोसा के घर पर कौन कौन जाएगा ? सब को हम देखेंगे, सारे जाकर माफी मांगेंगे। सारे के सारे शाम को जाएंगे ...(व्यवधान)...

**अतिरेक मांगों (वर्ष 2005-2006) का उपस्थापन**

श्री अध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, अतिरेक मांगें वर्ष 2005-2006 की उपस्थापना करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005-2006 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं । ...(व्यवधान)...

**कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (सं.2)**

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ...(व्यवधान)...

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)**

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 09 जनवरी, 2009 को प्रात: 10.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 10 जनवरी, 2009 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

| | |
|---|---|
| शनिवार, दिनांक 10 जनवरी, 2009 | 1- राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर। |
| | 2- बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 |
| | 3- महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय जयपुर, विधेयक, 2009 |
| | 4- मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 |
| | 5- श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला(झुंझुनूं) विधेयक, 2009 |
| | 6- जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर, विधेयक, 2009 |

7- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर
(संशोधन) विधेयक, 2009
8-जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक,2009
पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)**

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर हमारा संशोधन है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?...(व्यवधान)...

**(स्वीकृत)**

सदन द्वारा कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट की गई। ...(व्यवधान)...

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभिभाषण पर चर्चा कराना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया के नियम-71 में शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नांकित विधेयकों में माननीय सदस्यों की ओर से किसी संशोधन की सूचना देने हेतु कल दिनांक 10 जनवरी, 2009 के प्रात: 9.00 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया जाए। उपरोक्त विधेयकों की प्रतियां माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए उन्हें पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं :-

1- बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

2- महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय जयपुर, विधेयक, 2009

3- मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009

4- श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009

5- जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर, विधेयक, 2009

6- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

7- जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारा संशोधन है, उस संशोधन को अस्वीकार करना, उस पर बहस नहीं कराना, उस पर मतदान नहीं करवाना, इस प्रकार की व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्था को +++ करेगी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा नियम-71 के संबंध में रखा गया प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

नियम-71 संबंधी प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

मैं अभिभाषण के ऊपर चर्चा कराना चाहता हूं लेकिन मुझे दुःख है किसी भी माननीय सदस्य का, आपके भी सचेतक ने, आपके भी सचेतक ने नाम मुझे नहीं दिया है इसलिए अभिभाषण पर चर्चा कराना संभव नहीं है ...(व्यवधान)...

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 10 जनवरी, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 19.10 बजे दिनांक 10 जनवरी, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

-------

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।